रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1998 (पौष 27, 1919)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1998 (PAUSA 27, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

विभिन्न निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान
मुंबई–400005, दिनांक 3 अक्तूबर 1997

सं० 3 डब्ल्यूसीए (8) 9/96-97—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (4) जिसे अधिनियम, 10(2)(ब) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाणपत्र उनके आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस प्रमाणपत्र के लिए वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया था।

फा० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	001269	श्री मेहता हरनीशकांत मगनलाल, एफ०सी०ए० 1ला मजला, योजना प्लॉट नं० 526-बी, 16वां रोड खार मुंबई–400052.	1–10–96
2	001706	श्री कपूर सूरज प्रकाश, एफ०सी०ए० 284, 11, तल्लिला महाकाली केवन रोड अंधेरी-पूर्व मुंबई–400093.	1–10–96
3.	001919	श्री राजगुरु गोपाल बालकृष्ण, एफ०सी०ए०, चांद-रात, 99 मयूर कर्वे रोड, कोटरूड पुणे–411029.	1–10–96
4.	002701	श्री शाह चीमनलाल अम्बालाल, एफ०सी०ए० बापू सदन, जनता डेयरी के पीछे चार रास्ता मनीनगर अहमदाबाद–300008.	1–10–96

1	2	3	4
5.	003211	श्री पटेल वल्लभाई गोकुलभाई, एफ०सी०ए० 56 आर्केडियन गार्डनस लण्डन एन22 5एडी–यू०के० ।	1–10–96
6.	003298	श्री रॉय पिनकी रंजन, 501, मंगल छाया, 15वां रोड बान्द्रा–पश्चिम, मुंबई -400050 ।	1–10–96
7.	003576	श्री देसाई हसमुखलाल चम्पकलाल एफ०सी०ए० एच० सी० देसाई एण्ड कं०, बी 38, पुनिता, 28–एस०वी० रोड, कांदिवली, मुंबई–400067 ।	1–10–96
8.	004341	श्री महादेविया कमलकान्त शंकरलाल एफ०सी०ए०, 17, हीरा सोसायटी, मनीनगर, पू० अहमदाबाद–380008 ।	1–10–96
9.	004971	श्री शाह कल्याणजी जे०, एफ०सी०ए, शीतल छाया, ब्लॉक नं० 15, नेहरू रोड, मुलुंड–प०, मुंबई–400080 ।	1–10–95
10.	005081	श्री देसाई बीपीनचन्द्र भीमभाई, ए०सी०ए०, डी–2/11, महिन्द्र नगर, हाजी बापू रोड, मलाड–पू०, मुंबई–400097 ।	1–10–96
11.	005246	श्री पारेख अशोक वनमालीदास, ए०सी०ए०, ए० पारेख एण्ड कं०, नंदन वन, प्लाट नं० 269, सायन–प०, मुंबई–400022 ।	1–10–96
12.	006125	श्री अग्रवाल देवेन्द्र कुमार, एफ०सी०ए०, फ्लेट नं० 4, 1ला मजला, सेंचुरी पार्क, वीरसावरकर मार्ग कार्नर, प्रभादेवी, मुंबई–400025 ।	1–10–96
13.	006313	श्री राजगोपालन चक्कुली, ए०सी०ए०, 2, बैतुल अमीन, प्लाट–13, स्कीम–4, बान्द्रा, मुंबई–400050 ।	1–10–96
14.	007428	श्री महेश्वरी बन्सीलाल, बी० एल० महेश्वरी एण्ड कं०, बापुराव कालनी, बंगलो–11, आदर्श नगर, सांगली–425002 ।	1–10–96
15.	008111	श्री भट एम० वासुदेवा, ए०सी०ए०, 106/सी मुयोग अपार्टमेंट्स, मनदपेश्वर रोड, बहीसर–प०, मुंबई–400068 ।	1–10–95
16.	008441	श्री माहुसरावुड्ढे विजय कुमार, ए०सी०ए०, 31–ए, शहुयाद्रि अजाज हॉल के सामने, चिंचोली नाका, घोडबंदर रोड, मालाड–प०, मुंबई–400064 ।	1–10–96
17.	009552	श्री जेठ हिमतलाल शांतीलाल, ए०सी०ए०, डेप्यूटी मनेजर, जे० सी० बींदा एण्ड कं०, मेकर चेम्बर–1, एस 18, विठ्ठलदास ठाकरजी रोड, मुंबई–400020 ।	1–10–96
18.	008711	श्री शुक्ला शिरीष चन्द्र त्रिम्बक लाल, दादासाहेब पगला, अहमदाबाद–380009 ।	1–10–96
19.	008728	श्री पीडत किशोरकान्त नारणदास, एफ०सी०ए०, 353/30/1 महावीर ज्योसि–सी, बल्लभ बाग लेन, घाटकोपर, मुंबई–300 077 ।	01–10–96

1	2	3	4
20.	011775	श्री मेहता जगदीशचन्द्र बाबू -भाई, एसीए, लक्ष्मी एस्टेट, बिल्डिंग नं०3 चिनानी कालेज कंपाऊंड, ब्लाक नं० 22, जूना नगरदास रोड, वर्मा नगर, मुंबई–400069	01-10-96
21.	012353	श्री चंदक आर० डी०, एफ०सी०ए०, 143, बीच टावर्स, पी० बालू मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई–400025	1–10–96
22.	012707	श्री मूनभाई डी० मेहता, ए०सी०ए०, 6/234, शिव निवास, सायन, मुंबई–400022	1–10–96
23.	012730	श्री भालीआ दिनेश चन्द्र दशरथलाल, एफ०सी०ए०, दिनेश डी० भालीआ एण्ड कं०, 6/2544, रामपुरा मेन रोड, सूरत–395003	1-10–96
24.	012850	श्री त्रिपाठी बीपीन कांतिलाल, ए०सी०ए०, 7/बी, शक्ती मीकुंज शक्ती सोसायटी, प्रिंस फ्लेट्स के पास, नई शारदा मंदिर रोड, अहमदाबाद–380007	1–10–96
25.	016377	श्री जोशी श्यामल शिवकुमार, एफ०सी०ए०, 40, प्रेरणा तीर्थ, सोमेश्वर काम्पलेक्स के पीछे, सेटलाईट रोड, अहमदाबाद–380015	1–10–96
26.	016378	श्री टपारिया ब्रिज मोहन, ए०सी०ए०, थाईस प्रेसिडेंट– माडर्न पेट्रो, विश्वकर्मा हाऊस, जूना, ओ० एच० नं० 8, हाटन महाराजा के पास, भरूच–392001	1–10–96
27.	016856	श्री मर्चन्ट फरीद युसूफ, ए०सी०ए०, फ्लेट नं० 2, 1ला मजला, रीझम मेन्शन, जसलोक हास्पिटल के पीछे, 15–बी, पेडर रोड, मुंबई–400026।	1–10–96
28.	017243	श्री बीयाणी मानकलाल, एफ०सी०ए०, एसए–5, सेन्थरी ऐन्का कालोनी नं० 1, भोसारी पोस्ट, पुणे–400026	1–10–96
29.	019569	श्री सादीयार नारायण ए०, ए०सी०ए०, शेल मार्केटिंग (ओमान) सी०, पी० ओ० बॉक्स नं० 38, मीना अल फहल, पी० सी० 116, सलतनत आफ ओमान।	1–10–96
30.	030423	श्री काकु सतीश मानीक, एफ०सी०ए०, प्लाट नं० 32, कमला नेहरू क्रास रोड नं० 3, कांदिवली, मुंबई–400067	1–10–97
31.	030429	श्री मेहता धरमचंद, एफ०सी०ए०, डी० सी० दुर्गा मन्दिर, श्रीराम नगर, तुमसर–441912	1–10–96
32.	030752	श्री चंद्रशेखर जी० एस०, एफ०सी०ए०, 6/67, एल 8 कुंज पेस्टम सागर, तीलक नगर, मुंबई–400009।	1–10–96
33.	031417	श्री गोयानी सुरेशकुमार पुरुषोत्तम दास, ए०सी०ए०, डी–43, वि अंधेरी शिल्पा प्रेमाइसस को–आप० सोसायटी लि०, 19/2, आझाद रोड, अंधेरी–पू०, मुंबई–400069	1–10–96
34.	031459	श्री मेहता राजेश जेठालाल, ए०सी०ए०, राजेश जे० मेहता एण्ड सं०; 133 गोरख भवन नगर, मीलाप सिनेमा के सामने, मालाड–प०, मुंबई–400064।	1–10–96

1	2	3	4
35.	031464	श्री पारीख राजेन्द्र रसीकलाल, ए०सी०ए०, रादेव पार्क, "ए" विंग, 5वीं मंजला, फ्लैट नं० 506, चन्द्रावरकर रोड, बोरीवली–प०, मुंबई–400092	1–10–96
36.	031760	श्री राधाकृष्णानी सुरेश उधवडा, ए०सी०ए०, 6ए, सेंट मार्टीन्स रोड, बान्द्रा–प०, मुंबई–400050	1–10–96
37.	032073	श्री पीन्टो ग्लीसन पी०, एफ०सी०ए०, डी–4, पूरब आपर्टमेन्ट्स, गिल्बर्ट हिल, रिक्रीएशन क्लब के पीछे, अंधेरी–प०, मुंबई–400058।	1–10–96
38.	032079	श्री शाह महेश रतीलाल, ए०सी०ए०, 103, प्रभु दर्शन, प्लाट नं० 173–डी, संगम हास्पिटल के सामने, एस० वी० रोड, जोगेश्वरी–प०, मुंबई–400102	1–10–96
39.	032535	श्री लालानी जयसुख मनसुखलाल, एफ०सी०ए०, लालानी एण्ड एसोसिएट्स, रेलवे क्रासिंग के पास, केडिला रोड, घोडासर, अहमदाबाद–380050	1–10–96
40.	032626	श्री हेनरीक्स वील्टन अल्फेड, एफ०सी०ए०, क्रांम्पटन ग्रीवस लि०, 1 डॉ० बी० श्री० गांधी मार्ग, मुंबई–400001।	1–10–96
41.	032664	श्री पटवर्धन कुमार श्रीमंगलमुर, ए०सी०ए०, 38 7, वृन्दावन, प्रभात रोड, पुणे–411004	1–10–96
42.	032978	श्री छेडा भारत सुरेन्द्र, ए०सी०ए०, डी/602, गौतम काम्पलेक्स, प्लाट नं० 17/18, सेक्टर–11, सी० बी० डी० बेलापुर, नवीं मुंबई–400614।	1–10–96
43.	033026	श्री शाह डी० बी०, एफ० सी० ए० 12, सुयोग अपार्टमेंट्स, कमला नेहरू हॉल के सामने, टाईव इन रोड, मेमनगर, अहमदाबाद–380052	1–10–96
44.	033196	श्री कुलकर्नी प्रसाद मंगलमूर्ति, ए०सी०ए०, पी० एम० कुलकर्णी एण्ड कं०, गोडफ्रे मेनर्स बिल्डिंग, दादर, 310–बी, वीर सावरकर मार्ग, मुंबई–400028	1–10–96
45.	033259	श्री अजमेरा अशोककुमार वी०, एफ०सी०ए०, 205/बी, साईधाम अपार्टमेंट्स, मोडावाला लेन, बोरीवली–प०, मुंबई–400092	1–10–96
46.	033323	श्री हेमानी किरन हरसुख लाल, एफ०सी०ए०, 1104–5, अंतरिक्षा टावर्स, मिलन रोड, मुलुंड–प०, मुंबई–400080	1–10–96
47.	033358	श्री शाह विजय कुमार हरकिसनदास, एफ०सी०ए०, नागीनदास मुलजी एण्ड कं०, 35 ईसाजी स्ट्रीट, 1ला मंजला, बदगावी, मुंबई–400003	1–10–96

1	2	3	4
48.	033460	श्री अग्रवाल सुधीर कुमार, ए० सी० ए०, 63-सी, मीत्तल टावर, नरीमन पाईन्ट, मुम्बई-400021 ।	1-10-95
49.	033725	श्री बजाज मायांक प्रमोदचन्द्र, ए० सी० ए०, स्मृति, ब्लाक नं० 3, फिरोजशाह रोड, सांताक्रुज-प०, मुम्बई-400054 ।	1-10-96
50.	033972	श्री मोमाया नयन विनोदचन्द्र, ए० सी० ए०, सीता कुंज, 164 महर्षी कर्वे रोड, मुंम्बई---400021 ।	1-10-96
51.	034053	श्री टंडन सुधीर कैलाश, एफ० सी० ए०, 3/399 वील्ड तीसल, 14वां रोड, खार, मुम्बई---400021 ।	1-10-96
52.	034386	श्री नागोरी रमेशचन्द दीपचन्द ए० सी० ए०, ए-1/6 [illegible], अकाल को-आप० हाऊसिंग सोसायटी लि०, तरुण भारत रोड, चकाला, अंधेरी-पु०, मुंबई---400099 ।	1-10-96
53.	034396	श्री अग्रवाल अतुल जीतेन्द्र, एफ० सी० ए०, 7/10, बोटावाला बिल्डिंग, हार्निमन सर्कल, मुम्बई---400001 ।	1-10-96
54.	034425	श्री पद्मनाभान एन० आर०, ए० सी० ए०, 27/79, शान बाग, आर० ए० किडवाई रोड, वडाला, मुम्बई---400031 ।	1-10-96
55.	034601	श्री जोशी अजय जसवंतराय, ए० सी० ए०, कांता निवास, 1ला मजला, डा० अन्सारी रोड, जीलेपार्ले-प०, मुम्बई---400056 ।	1-10-96
56.	034724	श्री अग्रवाल प्रवीण छेलाराम, ए० सी० ए०, 41-बी-408, कंचन गंगा, लोखंडवाला काम्प्लेक्स, अंधेरी-प०, मुंम्बई---400058 ।	1-10-96
57.	034770	श्री विश्वनाथन एन० एस०, ए० सी० ए०, 6/156 चंद्रकिरण, शेरे-पंजाब सोसायटी, महाकाली केवस रोड, अंधेरी-पू०, मुंबई---400093 ।	1-10-96
58.	034957	श्री शाह श्रीपाल गुणवंतलाल, एफ० सी० ए०, 42-बी, स्थानकवासी सोसायटी, नारनपुरा, अहमदाबाद---38 0013 ।	1-10-96
59.	035027	श्री भंडारी राजीव नरपतमल, ए० सी० ए०, 17, अरीस्टोवीले, जोधपुर, चार रास्ता, एस० एम० रोड़, अहमदाबाद-380015 ।	1-10-96
60.	035064	श्री बोरा बिपुल जयंतीलाल ए० सी० ए०, 401, लक्ष्मी अपार्टमेंट्स, कार्टर रोड नं० 3, अम्बाजी टेंपल के पीछे, बोरीवली-पू०, मुंबई---400066 ।	1-10-96
61.	035260	श्री लालपुरीआ कैलाश रामनिवास, ए० सी० ए०, त्रिभुवन, सी-19/20, 90 फुट रोड, मुलुंड-पू०, मुंबई---400081 ।	1-10-96
62.	035441	श्री शेनॉय अरुन पुरुषोतम, ए० सी० ए०, 353/29, अश्विन, फ्लैट नं० 6, वल्लभ बाग रोड, घाटकोपर-पू०, मुंबई---400077 ।	1-10-96

1	2	3	4
63.	035458	श्री जीवराजका शरद कुमार, विश्वाना, एफ० सी० ए०, 2—चंद्रगा निवास, 190—डी, बिगास स्ट्रिट, 10वां केथल रोड, मुंबई—400002 ।	1-10-96
64.	035687	श्री मुरलीधर एम० हरीकिशन एफ० सी० ए०, लक्ष्मीसागर, 127—भावदाजी रोड़, 3रा मंजला किंग्स सर्कल, माटूंगा, मुंबई—400019 ।	1-10-96
65.	035910	श्री फौजदार बेरसी इरुष, ए० सी० ए०, अरवलेस बिल्डिंग, 3रा मंजला, फ्लैट नं० 7 266—डा० बी० जयकर मार्ग, कालबादेवी, मुंबई—400002 ।	1-10-96
66.	035923	श्री मेहुरा महेन्द्र छगनलाल, ए० सी० ए०, 6—बी, के सिधी सोसायटी शंकर लेन कांदिवली—प०, मुंबई—400067 ।	1-10-96
67.	036313	श्री कलवन्त सिंघ पुरन सिंघ, ए० सी० ए० बी—14, प्रेमसागर अपार्टमेंट्स, 3रा मंजला एल० बी० एस० मार्ग, कुर्ला, मुंबई—400070 ।	1-10-96
68.	036435	श्री आयर वेंकटेश श्रीमाराज, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 5 बिल्डिंग नं० 15, विश्रांत सोसायटी, विश्रांत वाडी पुणे—411015।	1-10-96
69.	037033	श्री शुक्ला धीरेन बालकृष्ण, ए० सी० ए० ए—18 बकुल, अंधेरी मुंबई—400058 ।	1-10-96
70.	037256	श्री कर्नेणकुमार हरीराम ए० सी० ए०, 69 रामचन्द्र लेन माटुंगा—प०, मुंबई—400064 ।	1-10-96
71.	037346	श्री रायारीकर सतीश गंगाधर एफ० सी० ए० स्टेट बैंक कॉलनी, एस० नं० 19/1, कोठरुड, पुणे—411029 ।	1-10-96
72.	037397	श्री नटराजन ई० एस०, ए० सी० ए०, 16, यमना नावा श्रीनगर सोसायटी, तीलक नगर, चेंबूर, मुंबई—400089 ।	1-10-96
73.	037688	श्री शाह जयेशकुमार ओछावला, ए० सी० ए० ए/3, मधुपुर अपार्टमेंट, डहानुकरवाडी, एम० जी० रोड, कांदिवली—प०, मुंबई—400067 ।	1-10-96
74.	037734	श्री ढेकर अशोक तुकाराम, ए० सी० ए०, 456, कमलसागर को-आप० हाऊसिंग सोसायटी लि०, भांडुप—पू०. मुंबई—400042 ।	1-10-96
75.	038093	श्री देसाई पारेश बयोमेश, ए० सी० ए०, पी० बी० देसाई एण्ड कं०, 19, मालविया रोड़, पीलेपार्ले—पू, मुंबई—400057 ।	1-10-96

1	2	3	4
76.	038174	श्री शाह अमीत प्रवीण ए० सी० ए०, 83, पाइनवे बिल्डिंग, नार्थ यार्क, ओन टोरोन्टो एम 2 एच 1 ए 7 केनेडा ।	1-10-96
77.	038326	श्री अग्रवाल विवेक कुमार, ए० सी० ए०, सी 8, इयुफार्मा लेबोरेटरीज लि०, इयुफार्मा हाऊस, साहाकार मार्ग, विलेपार्ले-पू०, मुंबई—400057 ।	1-10-96
78.	038624	श्री आयर हरी वीरामणी, ए० सी० ए०, बी-6, 3रा मजला शंकर अपार्टमेंट्स कनैया नगर कोपरी कॉलनी, थाना—400603 ।	1-10-96
79.	038631	कु० पांड्या विपुल, ए० सी० ए०, सी-9, ब्रिजधाम, बांगुर नगर, गोरेगांव-प०, मुंबई-400090	1-10-96
80.	038707	श्री पुर्नीक अनिल देवेन्द्र, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 6, आनन्द शक्ति, एस० नं० 40, बालवेकर इस्टेट, संत नगर, पुणे-411009	1-10-96
81.	030710	श्री नायक भरतकुमार संजीवा ए० सी० ए०, ए-102, वर्धमान अपार्टमेंट्स सोडावाला लेन, बोरीवली प० मुंबई-400092	1-10-96
82.	039065	श्री पासुरी प्रेमी होरी, ए० सी० ए०, 401, अलंकार बलराम स्ट्रीट ग्रान्ट रोड, मुंबई-400007	1-10-96
83.	039112	श्री बलसारा राजयार डारीयस, एफ० सी० ए०, फ्लैट नं० 6, 3रा मजला, उर्मिला, 19वां रोड, खार-प, मुंबई-400052	1-10-96
84.	039264	श्री पारेख मीलेश प्रवीण चन्द्र एफ० सी० ए०, एम० पी० पारेख एण्ड असोसिएट्स, द्वारा : नवयुग कवली एण्ड कं०, 57-59, झवेरी बाजार, मुंबई-400002 ।	1-10-96
85.	039368	श्री धरनीधरका प्रदीप ओमप्रकाश, ए० सी० ए०, पी० ओ० धरनीधरका एण्ड कं०, 4 ई केजकोट हाऊस, 4था मंजला, 8/10, तामरींध लेन, मुंबई—400023 ।	1-10-96
86.	039510	श्री शाह हिराचन्द वामजी, एफ० सी० ए०, द्वारा : हिराचन्द एण्ड कं०, ए/4, जुहू अपार्टमेंट्स, जुहू रोड, सांताक्रुज-प, मुंबई—400049 ।	1-10-96
87.	039621	श्री रमेश राजागोपालन, एफ० सी० ए०, 7/56, ज्योतसना पेस्टन सागर, चेंबूर, मुंबई—400089 ।	1-10-96
88.	039714	श्री वेंकेटाचालम कृष्णनन, एफ० सी० ए०, 3रा मजला, चेंबर आफ कोमर्स, पी० ओ० बाक्स 2642, दुबई-यू० ए० यू० ।	1-10-96
89	039797	श्री बुध सचीन, ए० सी० ए०, धस, बंधु लेआऊ कोरडी रोड, । नागपुर—400030 ।	1-10-96
90.	039800	नाचने राहुल जयंत, ए० सी० ए०, 27/1, गोल्डन बेल्स, कालीना, सांताक्रुज-पू०, मुंबई—400098 ।	

1	2	3	4
91	039994	श्री सुबेदार राजीव श्रीकृष्ण, ए० सी० ए०, आर० एस० सुबेदार एण्ड असोसिएटस्, द्वारा : श्री वी० एम० जोशी, 12/13, समर्थ नगर, भूलाभट्टी-पू, मुंबई—400022 ।	1-10-96
92.	040106	श्री मुल्ला इस्तियाज महमदसाहेब ए० सी० ए०, निझाम पार्क, सर्वे नं० 584/5-सी, फ्लैट नं० 2, गुलमोहर सोसायटी, सलसबेरी पार्क, गुलटेकडी, पुणे—411037 ।	1-10-96
93.	040269	कु० श्रीफ नीलोफर खलफ, ए० सी० ए०, 8 हायगेट, लेन, चेरी हिल, एन० जे० 08003, यू० एस० ए० ।	1-10-96
94.	040474	श्री रामुका शंकर लाल, ए० सी० ए० मैसर्स सीलडेंट ट्रेडिंग एण्ड कं० 2रा मजला, 456 कालबादेवी रोड़, मुंबई-400002 ।	1-10-96
95.	040744	श्री देसाई राजेश कृष्णाकान्त, ए० सी० ए०, इंचेकेप सिद्दल ईस्ट पी० ओ० बॉक्स-210, मनामा बेहरीन ।	1-10-96
96.	040748	श्री गांवकर चन्द्रशेखर मारुती, एफ० सी० ए० 4/1, विनयानन्द सोसायटी लींकिंग रोड़ सांताक्रुज पश्चिम मुंबई-400054 ।	1-10-96
97.	040773	श्री माने सचीन हम्बीरराव, एफ० सी० ए० बारामती केटलफिल्ड्स, ई 248, एम० आई० डी०सी०, सोमाटेमस्टाईल्स, बारामती—413233 ।	1-10-96
98.	040849	श्री त्रिचुर कृष्णाकुमार नारायणन, ए० सी० ए 1, राधीका कुमुद नगर, एस० वी० रोड़, गोरेगांव-प०, मुंबई—400104 ।	1-10-96
99.	040868	श्री शाह तुषर नरेन्द्र, ए० सी० ए० अमर निवास 61 बी० डी० रोड़, मुंबई—400026 ।	1-10-96
100.	041032	श्री केडिआ कमल ओमप्रकाश, ए० सी० ए०, के०ओ० केडिआ एण्ड कं०, 57/10 स्नेह सदन जे० बी० नगर, अंधेरी-पु० मुंबई—400059 ।	1-10-96
101.	041101	श्री मेहता राजेश ललीत, ए० सी० ए० राजेश एल० मेहता एण्ड कं० बी/74 रूप दर्शन 7वाँ मजला, जुहू लेन अंधेरी-प, मुंबई—400050 ।	1-10-96
102.	041148	श्री कोशल सुनिल यशपाल, ए० सी० ए०, सी नवीन अपार्टमेंटस् 43-ए एच० के० भाभा रोड़ बैण्ड स्टैण्ड बान्द्रा मुंबई—400050 ।	1-10-96
103.	041476	श्री चतुर्वेदी नंद लाल एफ० सी० ए०, एन० एल० चतुर्वेदी एण्ड कं०, 60-बी, हिल्टन टावर पंप हाऊस, अंधेरी-पू, मुंबई-400093 ।	1-10-96
104.	041503	श्री पटेल पियुष सोमनाथभाई, ए० सी० ए० पटेल आफिस, नीनवत्नी, कडी, मामलातदार कोर्ट के सामने, मेहसाना-382715 ।	1-10-96

1	2	3	4
105.	041526	श्री बसरुर प्रशान्त शीना, ए० सी० ए०, पी० एस० बसरुर एण्डको० शॉप नं० 2, कल्याणपुर हाउस 3रा रोड़, खार–प, मुंबई–400052 ।	1–10–96
106.	041560	श्री चक्कुंगल मोहनकुमार सोमनाथ, ए० सी० ए०, 10, शुकलेंदू अपार्टमेंटस्, वातार कालनी, भांडप–पू, मुंबई —400078 ।	1–10–96
107.	041582	कु० पाठक उर्मिला चिंतामन, ए० सी० ए०, 1362, सदाशिव पेठ, नवा विष्णु के पास, बाजीराव रोड़ पुणे–411030 ।	1–10–96
108.	041799	श्री मार्तिक महेश, ए० सी० ए० सेक्टर-9, प्लाट एल०-6, बि० नं० 10, फ्लैट नं० 14, नेरुल, नवी मुंबई 400706	
109.	041845	श्री हन्सोटीआ डैनी फिरोज, ए० सी० ए०, डी० एफ० हन्सोटीआ एण्ड असोसिएट स , 5-ए, बालमोरेल हॉल, 7, माऊंट मेरी रोड, बान्द्रा, मुंबई–400 050.	1–10–97
110.	042020	श्री देसाई प्रवेश राम नीक लाल, ए० सी० ए०, 302, प्रेसिडेन्सि एल टावर्स, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग मुंबई–400086.	1–10–96
111.	042044	श्री जोशी विरेन्द्र महेन्द्र, ए० सी०ए०, फ्लैट नं० 1, फेयरफील्ड, सीविंग, ई० सी०-8, एअरवाइज सिटी, बसई पू०, तोडीचारे, बसई–401 202.	1-10–96
112.	042237	श्री कपूर एसी एमा भाग, ए० सी० ए०, 515, वेस्टरिजिस्टर बिल्डिंग, पारसीन, भ्यूजेरती, एम० जे० 8859, यू० एस० ए०	1–10–96
113.	04230	श्री गोयो केशरीलाल गिडोरिया, ए० सी० ए०, बी/2, ऋषिकेश, 11 ऐनरगाईन नगर, मालाड–प० मुंबई– 400 064.	1–10–96
114.	042340	कु० शाहमुख्या सबीर, ए० सी० ए०, त्रिमना को-ओप० होसिंग सोसायटी, ब्लाक नं० 42-ए, गिलबर्ट हील रोड, भुवन्स कालेज के पास, अंधेरी–प० मुंबई–400 058.	1–10–96
115.	042368	कु० बेला बालकिशन ए० सी०ए०, 9, लाल महल कोपरी कालनी, थाना–400 603.	1–10–96
116.	042644	सौ० शरीन बी० वाडवाला, एफ० सी० ए०, बि० नं० 4, फ्लैट नं० 4, ए० एच० वाडिया मार्ग, पनाल टैंक रोड, मुंबई–400 0	1-10-96
117.	042798	श्री अकेरीवेलमसु सुभाष, एफ० सी० ए०, 11, बदरी विमल, 3रा मजला, साहाकार नगर जेपी रोड अंधेरी-प, मुंबई–400 053.	1–10–96
118.	042843	श्री शरीख समीर अगरीश ए० सी० ए० 24, पंत विहार सोसायटी, बदर टैंक के सामने, वस्त्रपुर ग्राम, वस्त्रापुर, अहमदाबाद–380 015.	1–10–96
119.	042872	श्री खम्बाटा पोरस नरीमन, ए० सी० ए०, द्वारा : श्री एम० एम० वाडाला 14–ए, वेलेजली रोड, वेस्ट के सामने, पुणे–411 001	1–10–96

1	2	3	4
120.	042887	कु० शाह सुचिता मयूर ए० सी० ए०, 19, जय विजय, 3538/27, बल्लभबाग लेन, घाटकोपर-पू, मुंबई–400 077.	1–10–96
121.	042943	श्री मींधरा रामनारायण, ए० सी० ए०, फ्लेट नं० 101, ए–1/11 बहार, जन० ए० के० वैद्य मार्ग यशोधम, गोरेगांव-पू, मुंबई–400 063.	1-10-96
122.	043113	श्री नामजोशी हेमन्त मधुकर, ए० सी० ए०, 7, अवधुत, राम मारुती क्रास रोड, नौपाडा, थाना–400 062.	1–10–97
123.	043268	श्रीतिरोडकर समीर रमाकान्त, ए० सी० ए०, 31, जयवंती, जोगेश्वरी को–आप० होसिंग सोसायटी, जोगेश्वरी–पु०, मुंबई–400 060.	1–10–96
124.	043442	श्री जैन अशोकचन्द, एफ० सी० ए०, टी० रेयान ट्रेडिंग कं० ली०, 9 फाष फनीच रोड 10100 संपुन्तावनुस, थायलैण्ड, बैंगकाक ।	1–10–96
125.	043659	श्री प्रशांतकुमार के०, ए० सी० ए०, प्रासन्ना शेनॉय एण्ड असो- सिएट्स, 202–203 ए 1 हरसिद्ध पार्क, ग्लेडीस अलवेअर्स मार्ग, पोखरा, थाना–400 601.	1–10–96
126.	043823	श्री फिलीप अलेक्झेंडर रोडरीक्स, ए० सी० ए०, फिलीप एण्ड असोसिएट्स, 13रामसौ ऐन्ड,बि० नं० डी/5, ग्रीनफिल्डस्, अंधेरी-पू, मुंबई–400 093.	
127.	043943	श्री मालकन हरेन्द्र लालचन्द, ए० सी० ए०, बी–3,माधवबाग,जांबली गली, एस० वी० रोड,बोरीवली–, मुंबई–400 092.	1–10–96
128.	043959	श्री पारेख धुरू दिलीप, ए० सी० ए०, प्रेमपुरी भवन, 36ए एन एस पी मार्ग, मुंबई–400 007.	1–10–96
129.	044007	श्री मालपानी उंदीप शिवदास, ए० सी० ए०, 943, बुधवार पेठ, पुणे–411 002.	1–10–96
130.	044222	कु० देसाई स्मीता जनक, ए० सी० ए०, दि क्लीफ, 3रा मंजला, 8 राघवजी रोड, कम्बाला हील, मुंबई–400 026.	1–10–96
131.	044229	श्री बोरा संजय मानीकचन्द, ए० सी० ए०, बी–305, न्यू भारत भवन, 1360 शुक्रवार पेठ, पुणे-411 002.	1–10–96
132.	044341	श्री मुकेश कुमार चेचानी, ए० सी० ए० फ्लेट नं० 207, इ/2, हायवे पार्क, ठाकुर काम्पलेक्स, कांदेवली–पू, मुंबई–400 101.	1–10 –9
133.	044396	श्री अग्रवाल प्रमोद काजोडीमल, एफ० सी० ए०, 1137, सेंट्रल अवेन्यू, गांधीभोजी, नागपुर–440 002.	1–10–96
134.	044404	श्री सुन्दरम रामचन्दरन, ए० सी० ए०, 1/7, शारदा, सेक्टर–2, ओम माता हाउसींग सोसायटी, छेडानगर, मुंबई–400 006.	1–10–96

1	2	3	4
135.	044419	श्री चांदवानी नरेश अरजनदास, ए० सी० ए० 689/9, कृष्णा निवास, 15वां रोड, खार, मुंबई–400 052.	1–10–96
136.	044464	श्री जोशी भावीन पिनाकीन, ए० सी० ए०, 14, मोरवी क्रॉस लेन, गणपत भवन, ब्लॉक नं० 2, चौपाटी, मुंबई (400 007.	1–10–96
137.	044555	कु०कड़ाकीया दर्शना रसीकलाल, ए० सी० ए०, बी/43ए ताराबाग इस्टेट, राजाराम मोहनराय रोड, मुंबई–400 004.	1–10–96
138.	044587	श्री धरमेन्द्र रेशमवाला, ए० सी० ए०, डी. रेशमवाला एण्ड असोसिएट्स, 10, लम्पलाईट, 9वां रोड, जे०वी०पी० डी० स्कीम, मुंबई–49.	1–10–96
139.	044962	श्री मनीष प्रवीणभाई हाकानी, ए० सी० ए०, 100/3,मनसुख, 9वांक्रास प्रभात रोड, वृन्दावन, पुणे–411 004.	1–10–96
140.	045465	कु० मेनन प्रिता वेनु, ए०सी०ए०, बी/18, गोपाल बिल्डिंग, टी० पी० एस०, 2रा रोड, विलेपार्ले–पू०, मुंबई–400057 ।	1–10–96
141.	045539	कु० माहिनी मुरलीधर हेगडे, ए० सी० ए०, 9/178, रोहिनी, सायन–पू०, मुंबई–400022 ।	1–10–96
142.	045548	श्री शाह प्रज्ञेश चन्द्रकांत, ए०सी०ए०, सी–19, मीलनधावरा, आजाद स्ट्रीट, एस०वी० रोड, अंधेरी–प०, मुंबई–400058 ।	1–10–96
143.	045558	श्री पारीख संजीव रसीकलाल, ए०सी०ए०, डी/17, ममता अपार्टमेंटस, गोवर्धन नगर, मुलुंड–प०, ए०बी०एस० मार्ग, मुंबई–80 ।	1–10–96
144.	045553	श्री वोरा हितेश रमनीकलाल, ए०सी०ए०, डी–6, एम/505, मालीनाथ, एस०पी० नागा, जैन मंदिर रोड, नाहुर, मुलुंड–प०, मुंबई–400080।	1–10–96
145.	045562	कु० क्रिस्टाइना थोमस किरनचीरा, ए०सी०ए०, हाऊस नं० 479, ग्रस्नी वाडो, गुजरीम–बारडेज, गोवा–403507।	1–10–96
146.	045579	श्री जोशी सचीन रूपनारायण, ए०सी०ए०, 3/34, सवीता सोसायटी, हेल्कर रोड, डोम्बिवली–421201	1–10–96
147.	045752	श्री भीडे प्रसाद विवाकर, ए०सी०ए०, पी० डी० भीडे एण्ड कं०, 141–ए, शुक्रवार पेठ, शिंदे लेन, पुणे–411002 ।	1–10–96
148.	045887	श्री वजीफदार पोरस फिडी, ए०सी०ए०, एफ–15, शापुर बाग, वी० पी० रोड, मुंबई–400004 ।	1–10–96
149.	045937	श्री पारेख यज्ञेशकुमार भोगीलाल, ए०सी०ए०, 5/बी, धवलगिरी को-आप० हाउसिंग सोसायटी, लिबर्टी गार्डन रोड नं० 1, मालाड–प०, मुंबई–400066 ।	1–10–96

1	2	3	4
150.	045967	कु० सहाय मिताक्षी, ए०सी०ए०, फ्लेट नं० 6, सोराब हाऊस, गार्डन रोड, कोलाबा, मुंबई–400039।	1–10–96
151.	046101	कु० पारुल दिनेशचंद्र, ए०सी०ए०, 601, सेटेलाईट, टैगोर रोड, सांताक्रुज–प०, मुंबई–400054।	1–10–96
152.	046130	श्री शाह शैलेश दामजी, ए०सी०ए०, 13, आनंद बिल्डिंग, सितलादेवी टेंपल रोड, माहीम, मुंबई–400016।	1–10–96
153.	041638	कु० सुमती रामदास, ए०सी०ए०, डी–1'5, विपु : मित्रा, प्रगती नगर, गोरेगांव–प०, मुंबई–400062।	1–10–96
154.	046426	श्री सनील विवेक वामन, ए०सी०ए०, बी–31, बिल्डिंग नं० 1, वृंदावनी शिल्प को–ऑप० हाऊसिंग सोसायटी, शिम्पोली विलेज, बोरीवली–प०, मुंबई–400092।	1–10–96
155.	046500	श्री सावलानी हिरानन्द ग्रासमदास, ए०सी०ए०, द्वारा : के० के० मजथामी, 1/20, पल्लवी अपार्टमेंट्स, मेमनगर फायर स्टेशन के सामने, अहमदाबाद–380009।	1–10–96
156.	044610	श्री पटाल प्रियेश प्रफुल, ए०सी०ए०, 2/12, हाकोबा बिल्डिंग, ओशिव नगर, शांतीवन के पास, बोरीवली–पू०, मुंबई–400066।	1–10–96
157.	046650	श्री शर्मा अतुल कुमार सीताराम, ए०सी०ए०, श्रद्धांजली, गुरुद्वारा के सामने, शास्त्रीनगर, खोपोली।	1–10–96
158.	046679	श्री शाह पराग द्वारकादास, ए०सी०ए०, बी०डी०ओ० पटेल एण्ड क०, पी० ओ० बाक्स नं० 1961, दुबई यू०ए०ओ०।	1–10–96
159.	046948	श्री हामय संजय मोहन, ए०सी०ए०, ए/6, वर्तक टावर, महेश पार्क, नालासोपारा, जि० थाना–401209।	1–10–96
160.	047020	श्री गुप्ता अजयकुमार रोशनलाल, ए०सी०ए०, रूम नं० 601, "ए" विंग, शिवधाम वैशाली नगर, धारकडी, बहिसर–पू०, मुंबई–400068।	1–10–96
161.	047051	श्री संघवी सुशाह विपिन्द्रा, ए०सी०ए०, 5, नंद स्मृती, फ्लाट नं० 15, वल्लभ बाग लेन, घाटकोपर–पू०, मुंबई–400077।	1–10–96
162.	047074	कु० शैला द्वियेश शाह, ए०सी०ए०, शांतीनाथनी पोल, मदरसा के पास, पाटण, नार्थ गुजरात 384265।	1–10–96
163.	047088	श्री मान्याल विक्रम संतोष, ए०सी०ए०, 12/2, नवजीवन सोसायटी, मुंबई सेंट्रल, मुंबई–400008।	1–10–96

1	2	3	4
164.	047150	श्री राजू मारकान्दीया बी०, ए०सी०ए०, बी०डी०डी० बिल्डिंग नं० 111, रूम नं० 20, वरली, मुंबई–400018।	1–10–96
165.	047181	श्री सचदेव राजन कृष्णाकुमार, ए० सी०ए०, 162/165 गुलस्तन महल, सायन–प०, मुंबई–400022।	1–10–96
166.	047302	श्री फारडोझो जुलियस सेबेस्टीयन थोमस, ए०सी०ए०, ताज क्वार्टर्स, डी–97, पाईस स्ट्रीट, कायखला, मुंबई–400011।	1–10–96
167.	047323	क० चुनीवाला गजाला अलिम, ए०सी०ए०, टी०पी०एस० 3, 14वां रो ।, मेरीलेण्ड बिल्डिंग, 3रा मजला, प्लेट नं० 14, बान्द्रा, मुंबई–400050।	1–10–96
168.	047404	कु० मिश्रा इंजीनियर्स, ए०सी०ए०, हीलन, 1ला मजला, 3 प्रा० बिल्डिंग रोड, बान्दरा–प०, मुंबई–400050।	1–10–96
169.	047435	कु० जैन मीना हिरालाल, ए०सी०ए०, ई/9, कॉमन वेल्थ बिल्डिंग, बड गार्डन के सामने, पुणे–411001।	1–10–96
170.	047504	श्री सीमाये प्रभाकर वसंत, ए०सी०ए०, 157/6, मकलकर बिल्डिंग, लाजीसकर रोड, विरगाम, मुंबई–400004।	1–10–96
171.	047608	कु० सिकन्दर प्रिती, ए०सी०ए०, ए–17, सनसेट 202, यशोधम, गोरेगांव–पू०, मुंबई–400063।	1–10–96
172.	048089	कु० राठोड प्रवीणा सवेरभाई, ए०सी०ए०, 7/7, मालाड को०–ऑप० हाऊसिंग सोसायटी, 2रा मजला, पावदार रोड, मालाड–पू०, मुंबई–400097।	1–10–96
173.	048231	श्री जालन बालकृष्णन श्यामसुन्दर, ए०सी०ए०, प्लेट नं० 9, 1ला मजला, लाल महल, दौलत नगर, कोपरी कॉलनी, थाना–400603।	1–10–96
174.	040649	श्री सरदेसाई उल्हास अनंत, ए०सी०ए०, द्वारा डी० एम० सरदेसाई, एसकर बी प्लाट नं० 85, साफल्य बालवेकर, पुणे सतारा रोड, पुणे–411009।	1–10–96
175.	040744	श्री बाली मुक्रम कमाल देवसिंघ, ए० सी० ए०, 302, रिजेन्ट चेंबर्स, नॅरीमन पाईट, मुंबई-400 021 ।	01-10-96
176.	049048	श्री वीडन माथिव जोसेफ, ए० सी० ए०, 66, मेकर टावर्स एफ. कफ परेड, मुंबई-400 005 ।	01-10-96
177.	049083	श्री डीसोझा क्लीफोर्ट लीवनार्ड, ए० सी० ए०, बी/8, दि शेल्टर, 35-शेरली, बान्दरा-प०, मुंबई-400 050 ।	1-10-96

1	2	3	4
178.	049394	श्री बेन्द्रे सुनिल विनायक, ए० सी० ए०, अशोक नगर बिल्डिंग नं० 3, को-आप. हाऊसिंग सोसायटी, ब्लाक नं० एच० ए०, एल० टी० रोड, वझिरानाका, बोरीवली-प०, मुंबई-400 092 ।	1-10-96
179.	049650	श्री शाह अशोक शशिकान्त, ए० सी० ए०, बी/11, शकुन्तला अपार्टमेंट्स, छेडा क्रास रोड, गणेश मंदिर के पीछे, डोंबिवली-421 201 ।	1-10-96
180.	049926	श्री अधिकारी गंदिप बेडूराम, ए० सी० ए०, 34, कृष्णा बिल्डिंग नं० 3, डा० बाबलीवाला लेन, परेल, मुंबई-400 012 ।	1-10-96
181.	049824	कु० वरणीस बिंदु, ए० सी० ए०, 9/22, चंद्र निवास, सायन-प०, मुंबई-400 022 ।	1-10-96
182.	049935	कु० मधुकर तुपति तितीन, ए० सी० ए० 7ऐजी, ग्रीन पार्क, सिविल लाईन्स नागपूर-440 001 ।	1-10-96
183.	049984	श्री अग्रवाल संजय रघुनाथ, ए० सी० ए० डी-901 उषा नगर, भांडूप-प०, मुंबई-400 078 ।	1-10-96
184.	049988	श्री मेहता हितेश दीपक, ए० सी० ए०, 14, न्यू नासिआ रोड, इंदौर-452 001 ।	1-10-96
185.	049989	श्री शिरसेकर समीर अरुण, ए० सी० ए०, 22, रामेश्वर प्रसाद, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400 025 ।	1-10-96
186.	051809	श्री घटक सुप्रियो, ए० सी० ए०, बी/74/104, सूतयना, शांतिनगर, सेक्टर 9, मीरा रोड-पू०, मीरा रोड-401 107 ।	1-10-96
187.	052133	श्री गोडबोली प्रणान्ता कुमार, एफ० सी० ए०, फ्लेट नं० 1, पूर्णिमा, पटेल कंपाउंड, 20, लेमिंगटन रोड, मुंबई-400 006 ।	1-10-96
188.	055064	श्री श्रीमंत आचार्य, ए० सी० ए०, फ्लेट नं० 701, डी-2, लोखंडवाला काम्लेक्स, कल्याण-पू०-421 306 ।	1-10-96
189.	056605	श्री अग्रवाल बंशीधर बगरेश्या, ए० सी० ए०, द्वारा एम० के० साहु, 205, कंचनगंगा, दत्तानी पार्क, बोरीवली-पू०, मुंबई-400063 ।	1-10-96
190.	070212	श्री एकनाथ हरमुख डी०, ए० सी० ए०, बी/7, [illegible]ली, जुना नगरदास रोड, अंधेरी-पू०, मुंबई-400 069 ।	1-10-96
191.	070927	श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता, एफ० सी० ए०, चीफ मैनेजर-फायनान्स, हिन्दुस्तान एंटीबायोटीक्स ली०, नाशिक डिविजन, पो० ओझर टाऊनशीप, नाशिक-422 207 ।	1-10-96
192.	071989	श्री अरुण कुमार मिश्रा, एफ० सी० ए०, फ्लेट नं० 712, बी विंग, ए० बी० सी० बिल्डिंग, मनीष पार्क, ओल्ड पींप हाऊस, अंधेरी-पू०, मुंबई-400 093 ।	1-10-96

1	2	3	4
193.	071991	श्री अग्रवाल मुरारीलाल, ए० सी० ए०, बिहारीलाल बिमोदर प्रसाद एण्ड कं०, स्टेशन रोड, ऊंझा–384 170.	1–10–96
194.	072358	श्री बन्सी नंगिल, ए० सी० ए०, द्वारा : पी० एन० के० तपारिया, 301, [illegible] अपार्टमेंट्स, एस० जे० पी० हाईवे, बनी पार्क, जयपुर ।	9–12–91
195.	074787	श्री [illegible] भूमेशकुमार, ए० सी० ए०, द्वारा : श्री दीपा विलायतरानी, सी–18/5, बी० आर० सी० कालोनी, फतेहनगर, सूरत–394 220.	1–10–96
196.	075474	श्री समीर अग्रवाल, ए० सी० ए०, 28/304, एच०पी० नगर–पू, वासी नाका, चेंबूर, मुंबई–400 074.	1–10–96
197.	086043	श्री अलोक, ए० सी० ए०, सी–14, ई–2, हाईवे पार्क, ठाकुर काललेक्स, कांदिवली–पू०, मुंबई–400 101.	1–10–96
198.	100043	कु० भुजबले अन्नाली राहुल, ए० सी० ए०, पतिमा 390/2, 8वां रोड, संधू फैक्टरी के पास, चेंबूर, मुंबई–400 071.	1–10–96
199	100200	कु० भारती राजीव विजयकुमार, ए० सी० ए०, "दानीशाम" 6, अशोर इस्टेट, नाशिक रोड, नाशिक–422 101.	1–10–96
200.	100234	श्री झुनझुनवाला दीपक राधेश्याम, 96 ए० सी० ए०, आनंद निवास, एकनाथ रंग मंदिर के पास, उस्मानपुरा, औरंगाबाद–431 005.	1–10–96
201.	201730	कु० अदी एस०, ए० सी० ए०, 76, 302 अपवस्ता, बसंत बिहार, पोखरन रोड नं० 2, थाना–400 601.	1–10–96

अशोक हैलदीया,
सचिव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-11, दिनांक 24 दिसम्बर 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/3404—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० ध० नि० आयकर की फाइल सं०
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स तनजावर सर्वोदया संघ 8, के० वी० कुआल, ईस्ट स्ट्रीट, कुम्बाकोनम–612001। तनजावर डिस्ट्रिक्ट ।	टी०एन०/2901–एम	1–6–94 से 31–5–97	डी० एल० आई०/14/ (223)/97
2.	मैसर्स दि तनजावूर कन्जूमर्स को–आप० होलसेल स्टोर्स लि० 2964/1, साउथ रामपार्ट, तनजावर–613001। 70 शाखेस ।	टी०एन०/टी०आर०/3411	1–3–90 से 28–2–93 1–3–93 से 29–2–96	डी० एल० आई०/14/ (226)/97
3.	मैसर्स दि त्रिची डिस्ट्रिक्ट अमरावथी कन्जूमर को–आपरेटिव होलसेल लि०, नं० 1, ओल्ड गुड्स रोड़, त्रिचिरापल्ली–620002 ।	टी०एन०/टी०आर०/4512	1–3–90 से 28–2–93 1–3–93 से 29–2–96	डी० एल० आई०/14/ (230)/97
4.	मैसर्स जोसफ आई हास्पीटल, मेलापुदर, त्रिचुरापल्ली––620001 ।	टी०एन०/टी०आर०/7642	1–3–93 से 29–2–96	डी० एल० आई०/14/ (224)/97
5.	मैसर्स इदा मेलायर मिल्क प्रोड्यूसर्स को–आपरेटिव सोसायटी लि० नं० जेड–सी–59 इदामेलायूर मेनारगुडी तालुक ए० टी० पानीरसेलवम डिस्ट्रिक्ट ।	टी०एन०/9000	1–7–90 से 30–6–93 और 1–7–93 से 30–6–96	डी० एल० आई०/14/ (232)/97
6.	मैसर्स टी ओ सी एस रिसर्च सेन्टर, पुडूकोटाई रोड, तनजावर––613005 ।	टी०एन०/टी०आर०/10359	1–6–94 से 31–5–97 1–11–89	डी० एल० आई०/14/ (225)/97
7.	मै० बी० एच० ई० एल० काम्पलैक्स, को–आपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसायटी लि० नं० वाई० टी० नं० 11 डा० अम्बेडकर नगर, ई० एण्ड आर० सक्टर, कैलाशपुरम, त्रिची––620014 ।	टी०एन०/19857	31–10–92 और 1–11–92 से 31–10–95	डी० एल० आई०/14/ (221)/97
8.	मसर्स सेथार वैल्फेयर लि०, लक्ष्मी काम्पलक्स, 73, बी–1, सलाई रोड, थिलाई नगर, त्रिची––620018।	टी०एन०/टी०आर०/22237	1–2–90 से 31–3–93 और 1–2–93 से 31–1–96	डी० एल० आई०/14/ (231)/97

1	2	3	4	5
9.	मैसर्स वी० एन० सी० इंडस्ट्रीज, 3 इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, करूर—639004 ।	टी०एन०/टी०आर०/27014	1-3-95 से 28-2-98	डी० एल० आई०/14/(233)/97
10.	मैसर्स सेथार फूड आयल लि०, 6-ए, लॉ सन्स रोड, कन्टोनमेन्ट, तिरुचिरापल्ली—620001 ।	टी०एन०/टी०आर०/27043	1-1-91 से 31-12-93 और 1-1-94 से 31-12-96	डी० एल० आई०/14/(227)/97
11.	मैसर्स शानमुगा प्रोसेसिंग फोरगिंग, शानमुगा काम्पलैक्स थिरुमलाई, सामुद्रिम थानजावर—613402 ।	टी०एन०/टी०आर०/27065	1-9-93 से 31-8-96	डी० एल० आई०/14/(220)/97
12.	मैसर्स टी० एन० पी० एल० स्कूल सोसायटी, कागोथपुरम, पो० करूर—639136, डी० सी० जी० डिस्ट्रिक्ट ।	टी०एन०/टी०एल०/27053	1-3-96 से 28-2-99	डी० एल० आई०/14/(228)/97
13.	मैसर्स सदरन हाइड्रो कार्बन्स लि०, रजिस्टर्ड आफिस 52-ए, रेनगानथापुरम, पुथूर, तिरुचिरापल्ली—620017 ।	टी०एन०/टी०आर०/27150	1-6-91 से 31-5-94 और 1-6-94 से 31-5-97	डी० एल० आई०/14/(222)/97
14.	मैसर्स फेनरस इन्डिया लि० टैक्सटाई डिवीजन, मनावसी कुलीथालाई, तलुक करूर—639108 ।	टी०एन०/टी०आर०/32068	1-4-96 से 31-3-99	डी० एल० आई /14/(234)/97
15.	मै० वीरान अलागुमुथूकान ट्रांसपोर्ट (बी०ए० टी० सी०) कारपोरेशन लि० डी० नं० 51/1, एस० नं० 216/2, पिल्लई वनीस्पंडल थिरुमयम रोड, पुजूकोटाई—622001 ।	टी०एन०/टी०आर०/32497	1-4-96 से 31-3-99	डी० एल० आई०/14/(229)/97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए बिना किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों का संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

टी. के. मरथाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

सा. का. सं. 2/1959/डी.एल.आई./भाग-1/3425—अतः अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और जो उनमें कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आयुक्त की फाइल सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० ई० आई० डी० पैरी, (ई०) लि०, डेयर हाउस, पी० बा० नं० 12, मद्रास—600001	टी०एन०/345 एफ	1-3-94 से 28-2-97	डी० एल० आई०/14/(245)/97/टी० एन०
2.	मै० रोलक्स स्ट्राइप्स प्रोफाइल्स (प्रा०) लि०, 3, गोरी पुरम, वेस्ट स्ट्रीट, करूर—2	टी० एन०/3877	1-3-94 से 28-2-97	डी० एल० आई०/14/(201)/96/टी०एन

1	2	3	4	5
3.	मै० सूरामंगलम मिल्क प्रोड्यूसर्स को० ओप० सोसायटी लि०, जैड–348, सूरामंगलम (पो०आ०) पिन–610201 ।	टी०एन०/7858	1–12–89 से 30–11–92 1–12–92 से 30–11–95	डी० एल० आई०/2/ 4915/93/टी० एन०
4.	मै० पेरामयत्तूर शुगर मिल्स लि०, इरेयुर पोस्ट आफिस–621133, तिची डि० ।	टी०एन०/11604	1–3–89 से 29–2–92 1–3–92 से 28–2–95 1–3–95 से 28–2–98	डी० एल० आई०/14/ 242/97/टी०एन०
5.	मै० काली इंजीनियरिंग कनसल्टेन्सी एण्ड सर्विसिज, नं० 42/5, मद्रास रोड, मलकावेरी-612002, कुम्भाकोनम ।	टी०एन०/17019–ए	1–4–95 से 31–3–98	डी० एल० आई०/14/ (243)/97/टी०एन०
6.	मै० नैवेली टाउनशिप मिल्क कन्जूमर को०-आप० सोसायटी लि० टी० एन० डी०–406, ई० 24, मुरुगन कुआल रोड, ब्लाक–27, नैवेली–607803 ।	टी०एन०/19294	1–1–89 से 31–12–91 1–1–92 से 31–12–94	डी० एल० आई०/14/ 200/96/टी०एन०
7.	मै० राधाकृष्णा राईस मिल्स इनजीकौजाई, तिचराई–612607 कुम्बोकोनम तालुक ।	टी०एन०/2314	1–3–94 से 28–2–97	डी० एल० आई०/14/ 202/96/टी०एन०
8.	मै० ई० एन० वी० वी० इलैक्ट्रोड्स, 18, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, करुर–639001, तमिलनाडु ।	टी०एन०/27614	1–3–94 से 28–2–97	डी० एल० आई०/203 96/टी०एन०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-ग) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत सदस्यों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अनुरक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को सहजसंज्ञेय भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सूचना पत्र करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ हटाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबंधित लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी के व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए बिना किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होती, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/3439—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आयुक्त की फाइल संख्या
1.	मैसर्स डी०जे० एन्टरप्राइज प्रा० लि०, नं० 41–ए, टी० बी० रोड, अरासरदी, मदुराई–625010 ।	टी०एन०/17262–ए	1–1–95 से 31–12–97	डी० एल० आई०/14/(248) 97
2.	मैसर्स सरावना स्पिनिंग मिल्स लि०, पोस्ट बाक्स नं० 15, बेगमपुर, डिन्डीगुल–624002 ।	टी०एन०/20497	1–2–95 से 31–1–98	डी० एल० आई०/14/(246)/97
3.	मैसर्स शिवाकासी इलक्ट्रोकेमीकल्स लि०, विरुदुनगर, शिवाकासी रोड, गुरुमूर्ति नयाकान पाटी, अमाथुर–626005 ।	टी०एन०/20836	1–2–90 से 31–1–93	डी० एल० आई०/14/(197)/96
4.	मैसर्स विश्वाभारती टैक्सटाईल्स लि०, त्रिची रोड, वदामदुराई–624802, वेदासनदर (टी० के०), डिन्डीगुल अन्ना, डिस्ट्रक्ट ।	टी०एन०/20905	1–1–95 से 31–12–97	डी० एल० आई०/14/(247)/97
5.	मैसर्स शिवाराज स्पिनिंग मिल्स लि०, थाडीकोम्बू–624709, डिन्डीगुल–टीके ।	टी०एन०/24149	1–1–96 से 31–12–98	डी० एल० आई०/14/(249)/97

अनुसूची 2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2—क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरंग निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना के भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए बिना किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों को संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89-भाग-2/3450—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है ।, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची 1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति तिथि	छूट विस्तार तिथि	के०भ० नि०आ० फाइल नं०
1.	मै० क्वालिटी रबड़ प्रोडेक्स, ए-3, इंडस्ट्रीयल इस्टेट अमरावती रोड गंटूर-522034	ऐ० पी०-7017	2/1959/डी० एस० आई० एक्जम/89भा/भाग-II/ दिनांक 1-11-95	30-11-96	1-12-96 से 30-11-99	2/4112/92 डी० एस० आई०
2.	मै० एसोसिएटिड रबर इंडस्ट्रीज ए-2, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, अमरावती रोड, गंटूर 522034 (ए० पी०)	ऐ० पी०-1753	दिनांक 1-11-95	30-11-96	1-12-96 से 30-11-99	2/3193/90
3.	मै० सूर्या ट्रोनिक्स प्रा० लि० 3-ए/ 1 और 2 आई०डी०ए० चरापली हैदराबाद-500051	ऐ० पी०-18041	दिनांक 25-1-96	30-11-96	1-12-96 से 30-11-99	2/3716/90
4.	मै० टी०जी० एल० गोपाल सेठी पोलटेकनिक एडोनी-518301	ऐ०पी० 18638	दिनांक 24-4-96	30-11-96	1-12-96 से 30-11-99	2/4015/92
5.	मै० के० एस० सुब्बह पिलई एंड कं० (इंडिया) प्रा० लि० पो० बा० नं० 18 तिलाकातूरोपेट 522616 गंटूर जिला ए० पी०	ऐ० पी०-2071	दिनांक 2-2-94	31-12-95	1-1-96 से 31-12-98	2/4731/92

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम से उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

आर. सनेजा

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

सा. का. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/3461—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, केरल ने स्कीम की भाग 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० केरला फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, डिवीजनल आफिस, मुनार इडुक्की डि०	केरल/5203डी	1-8-89 से 31-7-92 1-8-92 से 31-7-95	डी० एल० आई० 8/12/96
2.	मै० थिरुवेननथापुरम डि० को-आप० बैंक लि० पो० बा० नं 5122, थिरुवननथापुरम-695023	केरल/1896	1-7-91 से 30-6-94	डी० एल० आई० 8/11/96
3.	मै० मत्सयाफैड मतालिया भवन कुरावनकोनम पो० बा० नं० 821, त्रिवेन्द्रम-695003	केरल/2194-ए	1-3-92 से 28-2-95	डी० एल० आई० 8/(4)/96/केरल
4.	मै० केरला स्टेट बेवरेजज (मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्किटिंग) कारपोरेशन लि० पो० बा० नं० 2263, सास्थामंगलम, आफिस काम्पलेक्स, त्रिभवनन्तथापुरम-605010	केरल 10416	1-1-88 से 31-12-90 व 1-1-91 से 31-12-93	डी० एल० आई०/ 8/(5)/96/केरल
5.	मै० क्रिपटम कनफैक्शनरस (इंडिया) प्रा० लि० पो० बा० नं० 10 कान्जीरामस्पारा रोड, थोडपूजहा-84 केरल (इण्डिया)	केरल/12380	1-1-91 से 31-12-93 व 1-1-94 से 31-12-96	डी० एल० आई०/ 8(6)/96/केरल

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम जो नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

जी. के. भरवाह
क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त (मु.)

सं. 2/1952/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/3472—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्तअधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है) । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय अधिकरण निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो स्थापना के नाम के सामने अन्तिम स्तंभ में दी अनुसरण में इसमें संलग्न अनुसूची-1 के स्तंभ (2) में दी गई तारीख से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से संचालन से संबंधित उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करते हैं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० फाईल नं०
1.	मै० डेरडिंज कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० पोर्ट एरिया विशाखापटनम 530035	ऐ पी 5956	2/1959/डी०एल०आई० एक्जम भाग-1, दिनांक 18-9-97	20-8-94	21-8-94 से 20-8-97	2/646/82 डी० एल० आई०
2.	मै० जी वी के होटलस लि० दी कृष्णा ओबराय रोड़ नं० 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	ऐ पी 20687	2/1959/डी०एल०आई०, एक्जम भाग-1 दिनांक 1-11-95	31-3-97	1-4-97 से 31-3-2000	2/4063/92 डी० एल० आई
3.	मै० ए० जी० आई० ग्लास इंडस्ट्रीज डिवीजन आफ हिन्दुस्तान सैनटरी वेयर एंड इंडस्ट्रीज लि०, पो० बा० 1930 सन्ता नगर हैदराबाद-500018	ऐ पी 4133	2/1959/डी०एल०आई० एक्जम भाग-1, दिनांक 7-4-93	30-11-93	1-12-93 से 30-11-96	2/4207/92

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सुविधाजनक दृष्टि पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि ऐसा कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूटप्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त सर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी गलत के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों को जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उक्त सभी सदस्यों के नाम निदर्शितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय हस्परहा से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने से एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के भरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/3481—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस सीमा में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, यू. पी. ने स्कीम की धारा 18 (7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० बजाज हार्डवेयर, डी-II, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अलीगढ़-202001	यू पी/13767	1-11-88 से 31-10-91 1-11-91 से 31-10-94	2/3/95/यूपी/ डी०एल० आई०
2.	मै० तेज भू एक्सपोर्टस (प्रा०) लि० इन्द्रा मिल्स कम्पाउन्ड, ज्योति मण्डी, आगरा-282004	यू पी/8364	1-1-92 से 31-12-94	2/2/95/यू पी/ डी० एल० आई०
3.	मै० कुमाऊ रिफैक्टरीज गांव नर सिंह तल्ला, कमालगंज, पी ओ लामाचोर हल्द्वानी, नैनीताल	यू पी/14195	1-12-91 से 30-11-94	2/4/95/यू पी/ डी० एल० आई०
4.	मै० पो० सी० सोपे एंड कैमीकल्स लि० डाक्टर सोप हाउस, 19/9, खाटेना मार्ग, लोहामण्डी, आगरा-282002	यू पी/11914	1-9-87 से 31-8-90 व 1-9-90 से 31-8-93 1-9-93 से 31-8-96	2/9/95/यूपी/ डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम को अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (भ.)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1997

यूटी/डीबीडीएम/आर-372/एसपीडी/97-98--दिनांक 5 जनवरी 1997 के भारत के राजपत्र (भाग III-खण्ड-4) में पृष्ठ संख्या 2104 से 2111 पर प्रकाशित दिनांक 27 नवम्बर 1996 की अधिसूचना सं० यूटी/डीबीडीएम/आर-168/एसपीडी-89ए/96-97 के शुद्धि पत्र में निम्नलिखित सुधार करें ।

मासिक आय प्लान 1996 (3)

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2105	2	—	19वीं पंक्ति में पृष्ठ सं० 5645 को पृष्ठ सं० 5646 से सुधारें
2.	2107	5	—	10वीं पंक्ति में चिन्ह " ' ' " को चिन्ह ' ' से सुधारें
आस्थगित आय प्लान 1991				
1.	2107	5	—	23वीं पंक्ति में चिन्ह " " को चिन्ह ' ' से सुधारें
2.	2108	4	—	20वीं पंक्ति में मद सं० 12(अ) को मद सं० 12(ब) से सुधारें

ए० जी० जोशी,
महाप्रबंधक
(व्यवसाय विकास एवं विपणन विभाग)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay, the 03rd October 1997

No. 3WCA(8)1/96-97—In pursuance of Regulation 10 (1) (iv) read with Regulation 10 (2) (b) of the Chartered Accountants Regulation 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled from the dates mentioned against their names as they had not paid the annual fees for the Certificate of Practice :—

Sl. No.	MRN	Members Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	001269	Mr. Mehta Harnishkant Maganlal FCA I Floor Yojna Plot No. 526 B 16th Rd, Khar Mumbai-400 052.	01-10-96
2.	001706	Mr. Kapur Suraj Prakash, FCA 28A-11, Takshila Mahakali Caves Road, Andheri-E, Mumbai-400093.	01-10-96
3.	001919	Mr. Rajguru Gopal Balkrishna, FCA Chand-Raat, 99 Mayur Karve Rd. Kothrlid, Pune-411029	01-10-96
4.	002701	Mr. Shah Chimanlal Ambalal, FCA Bapu Sadan Behind Janta Dairy Char Rashta Maninagar, Ahmedabad-300008.	01-10-96
5.	003211	Mr. Patel Vallavbhai Gokalbhai, FCA 56, Arcadian Gardens London N22 5 AD UK-0	01-10-96
6.	003298	Mr. Roy Pinaki Ranjan, FCA 501 Mangal Dhayya 15th Rd, Bandra (West), Mumbai-400050.	01-10-96
7.	003576	Mr. Desai Hashmukhlal, Chandulal, ACA H.C. Desai & Co., B/38, Punita 28, S.V. Rd Kandivali-W Mumbai-400067.	01-10-96
8.	004341	Mr. Mahadevia Kumudkant Shankarlal, FCA 17, Hira Society, Maninagar-E Ahmedabad-380 008.	01-10-96
9.	004971	Mr. Shah Kalyanji J., FCA Shital Chhaya Block No. 5, Nehru Road, Mulund, Mumbai-400080.	01-10-95
10.	005081	Mr. Desai Bipinchandra Bhimbhai, ACA D-2/11, Mahindra Nagar, Haji Bapu Road, Malad East, Mumbai-400 097.	01-10-96
11.	005246	Mr. Rakesh Ashok Vanmalidas, ACA A Parekh & Co. 6 Nandan Van, Plot No. 269, Sion-West-6 Nanda Van. Plot No. 269,Sion West, Mumbai-400022.	01-10-96
12.	006125	Mr. Agrawal Devendra Kumar, FCA Flat No. 4, First Floor, Century Park, Off. Veer Savark Marg,Prabhadevi Mumbai-400025.	01-10-96
13.	006313	Mr. Rajagopalan Chakkully, ACA 2 Baita Amin Plot-13. Scheme-IV, Bandra Mumbai-400050.	01-10-96
14.	007428	Mr. Maheshwari Bansilal B., FCA B.L. Maheshwari & Co. Bapurao Colony Bunglow 11, Adarsh Nagar, Jalgaon-425002.	01-10-96
15.	008111	Mr. Bhatt M. Vasudeva, ACA 106/C Suyog Apts, Mandapeshwar Rd. Dahisar West, Mumbai-400060.	01-10-95
16.	008441	Mr. Sahasrabudhe Vijaykumar Ganesh, ACA 31A, "Sahyadri" Opp. Bajaj Hall, Chincholi Naka Ghodbunder Road, Malad (West), Mumbai-400064.	01-10-96
17.	008552	Mr. Sheth Himatlal Shantilal, ACA Deputy Mgr. J.B. Boda & Co., Maker Bhavan, ISI 8 Vithal Das Thackery, Mumbai-400020.	01-10-96
18.	008711	Mr. Shukla Shirishchandra Trambaklal, A Dadasaheb Pagla, Ahemdabad-380009.	01-10-96

1	2	3	4
19.	008728	Mr. Pithwa Kishorkant Nirandas, FCA 353/30/1 Mahivir Jyot-C Vallabh Baug Lane Ghatkopar, Mumbai-400077.	01-10-96
20.	011775	Mr. Mehta Jagdish Chandra Bababhai, ACA Laxmi Estate Bldgs. No. 3 Bloc, K No. 22 Chinani College Compound Old Nagardas Rd., Varma Nagar, Mumbai-400069.	01-10-96
21.	012353	Mr. Chandak R.D., FCA 143 Beach Towers, P. Balu Marg, Prabhadevi Mumbai-400025.	01-10-96
22.	012707	Mr. Manubhai D Mehta, ACA 6/234, Shiv Niwas, Sion, Mumbai-400022.	01-10-96
23.	012730	Mr. Bhalia Dinesh Chandra Dashrath, FCA Dinesh D. Bhalia & Co. 6/2544, Rampura Main Rd. Surat-395003.	01-10-96
24.	012850	Mr. Tirpathi Bipin Kantilal, ACA 7/B Shakti Mikunj Shakti Soc. Near Prite Flats, New Sharda Mandir Road, Ahmedabad-300007.	01-10-96
25.	016377	Mr. Joshi Shyamal Shivkumar , FCA 40, Prerna Tirth, B/H Someshwara Complex, Satellite Road, Ahmedabad-380015.	01-10-96
26.	016378	Mr. Taparia Brij Mohan, FCA Vice President—Modern Petro, Viswakarma House, Old N.H. No. 8 Near Hotel Maharaja, Bharuch-372001.	01-10-96
27.	016856	Mr. Merchant Farid Yusuf, FCA Flat No. 2, First Floor, Rijhum Mansion, Behind Jaslok Hospital, 15/B, Peddar Road, Mumbai-400026.	01-10-96
28.	017243	Mr. Biyani Manak Lal, FCA SA-5, Century Enka Colony No. 1 Bhosari Post, Pune 411 026	01-10-96
29.	019569	Mr. Sadiyar Narayana A. ACA Shell Marketing (Oman) Ltd., P.O. Box 38, Minal Al Fahal, P.C. 116 Sultanate of Oman-0.	01-10-96
30.	030423	Mr. Kaku Satish Manik FCA Plot No. 32 Kamla Nehru Cross Road, No. 3 Kandivli, Mumbai-400067.	01-10-95
31.	030429	Mr. Mehta Dharam Chand, FCA D.C Mehta & Co., Nr. Durga Mandir, Shreeramnagar, Tumsar-441912.	01-10-96
32.	030752	Mr. Chndrashekar G.S., FCA 6/67-18 Amar Kunj Pestom Sagar Tilak Nagar, Mumbai-400089.	01-10-95
33.	031417	Mr. Goyani Sureshkumar Purushottamdas, AC B-43 the Andheri Shilpa Premis, Co. Op. Soc. Ltd., 1921, Azad Road, Andheri(East) Mumbai-400069.	01-10-96
34.	031459	Mr. Mehta Rajesh Jethalal, ACA Rajesh J Mehta & Co., 133 Gaurav Bhadran Nagar, Opp. Milap Cinema Malad (West), Mumbai-400064.	01-10-96
35.	031464	Mr. Parikh Rajendra Rasiklal, ACA Ramdev Park 'A' Wing V Flr., Flat No. 506, Chandavarkar Road, Borivali (West) Mumbai-400092.	01-10-96
36.	031760	Mr. Radhakrishnani Suresh Udhawada, ACA 6A, Amarjeevan, 41st, Martins Road, Bandra-W, Mumbai-400050.	01-10-96
37.	032073	Mr. Pinto Gleason P., FCA D-4, Purab Apts., Gilbert Hill—behind Recreation Club, Andheri-W, Mumbai-400058.	01-10-96
38.	032079	Mr. Shah Mahesh Ratilal, ACA 103 Prabhu Dashan Plot No. 173-D, Opp. Sangam Hospt., S.V. Rd. Jogeshwari(W), Mumbai-400120.	01-10-96

1	2	3	4
39.	032535	Mr. Lalani Jaysukh Mansukhlal, FCA, Lalani & Associates, B/344, Punit Nagar, N. R. Rly. Crossing, Cadila Road, Ghodasar, Ahmedabad-380 050.	01-10-96
40.	032626	Mr. Henirques Wilton Alfredo, FCA, Crompton Greaves Ltd., 1 Dr. V. B. Gandhi Marg, Mumbai-400 001.	01-10-96
41.	032664	Mr. Patwardhan Kumar Shrimangalmur, ACA, 38/7, Erandawana, Prabhat Road, Pune-411004.	01-10-96
42.	032978	Mr. Chheda Bharat Surendra, ACA, D/602, Gautam Complex, Plot No. 17/18, Sec. 11, C. B. D., Belapur, Navi Mumbai-400 614.	01-10-96
43.	033026	Mr. Shah D. B., FCA 12, Suyog appartments, Mr. Kamla Kamdhenu Hall, Drive in Road. Memnagar, Ahmedabad-380 052.	01-10-96
44.	033196	Mr. Kulkarni Prasad Mangalmurti, ACA, P. M. Kulkarini & Co., Geoffery Manners Bldg., 310-B, Veer Savarkar Marg, Dadar, Mumbai-400 028.	01-10-96
45.	033259	Mr. Ajmera Ashokkumar, F.C.A., 205, B, Saidham Apts., Sodawala Lane, Borivali (W), Mumbai-400092.	01-10-96
46.	033323	Mr. Hemani Kiran Harsukhlal, FCA., 1104-5, Antariksha Tower, Man Road, Mulund West, Mumbai-400 080.	01-10-95
47.	033358	Mr. Shah Vijaykumar Harkishandas, FCA, Nagindas Mooljee & Co., 35, Issaji St. I Floor. Above L Milkd Vadgadi, Mumbai-400 003.	01-10-96
48.	033460	Mr. Agrawal Sudhir Kumar, ACA, 63-C, Mittal Tower, Nariman Point, Mumbai-400 021.	01-10-95
49.	033725	Mr. Bajaj Mayank Pramodchandra, ACA, Smruti Block N. 3, Phirozshaw Rd., Santacruz-West, Mumbai-400 054.	01-10-96
50.	033972	Mr. Momaya Nayan Vinodchandra, ACA, Sita Kunj, 164, Maharshi Karve Rd. Mumbai-400 021.	01-10-96
51.	034053	Mr. Tandon Sudhir Kailash, FCA, 3/399, Wild Teasel, 14 th Road Khar, Mumbai-400 052.	01-10-96
52.	034386	Mr. Nagori Rameshchand Dipchand, ACA, A-1/602, Akal Co. Op. Hsg. Soc. Lt., Tarun Bharath Road, Chakala Andheri East, Mumbai-400 099.	01-10-96
53.	034396	Mr. Agarwal Atul Jitendra, FCA., 7/10, Botawala Building, Horniman Circle, Mumbai-400 001.	01-10-96
54.	034425	Mr. Padmanabhan N. R. ACA, 27/79, Shan Baug, R.A. Kidwai Rd., Wadala, Mumbai-400 031.	01-10-96
55.	034601	Mr. Joshi Ajey Jaswantrai, ACA, Kanta Niwas, Ist Floor. Dr. Ansari Rd., Vile Parle—West, Mumbai-400 056.	01-10-96

1	2	3	4
56.	034724	Mr. Aggarwal Pravin Chellaram, ACA, 41/B 408, Kanchan Ganga, Lokhandwala Complex, Andheri—West, Mumbai-400 058.	01-10-96
57.	034770	Mr. Viswanathan N. S., ACA, 6/156, Chandra Kiran Shore Punjab Soc., Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai-400 093.	01-10-96
58.	034957	Mr. Shah Shripal Gunvantlal, FCA, 42/B, Sthanakwasi Society, Naranpura, Ahmedabad-380 013	01-10-96
59.	035027	Mr. Bhandari Rajiv Narpatmal, ACA, 17, Aristoville, Judhpur Char Rasta, S. M. Road, Ahmedabad-380 015.	01-10-96
60.	035064	Mr. Vora Vipul Jayantilal, ACA, 401, Laxmi Apartments, Carter Rd. No. 3, Behind Ambaji Temple, Borivli (E), Mumbai-400 066.	01-10-96
61.	035260	Mr. Lalpuria Kailash Ramniwas, Tribhuvan, ACA, C-19 & 20, 90 Feet Road, Mulund (East), Mumbai-400 081	01-10-96
62.	035441	Mr. Shenoy Arun Purushotham, ACA, 353/29, Ashwin, Flat No. 6, Vallabh Baug Road, Ghatkopar (East), Mumbai-400 077	01-10-96
63.	035458	Mr. Jiwrajka Sharad Kumar Vishwana, FCA, 2, Chandreha Niwas, 190/D, Viebhas St., 10th Cavel, Mumbai-400 002	01-10-96
64.	035687	Mr. Murlidhar M. Harikrishnan, FCA, Laxmi Sagar, 127 Bhaudaji Rd., III Floor King-Circle, Matunga, Mumbai-400 019.	01-10-96
65.	035910	Mr. Fauzdar Kersi Eruch, A.C.A., Albless Bldg., III Floor, Flat No. 7, 266, Dr. B. Jaykar Marg, Mumbai-400 002	01-10-96
66.	035923	Mr. Mehra Mahendra Chhaganlal, ACA, 6 B K. Sindhi Soc., Shankar Lane, Kandivli-West, Mumbai-400 067.	01-10-96
67.	036313	Mr. Kalwant Singh Puran Singh, ACA, B-14 III Floor, Premsagar Apts, L. B. S. Marg, Kurla, Mumbai-400 070.	01-10-96
68.	036435	Mr. Iyer Venkatesh Bhimaraj ACA, Flat No. 5, Bldg. No. 15, Vishrant Soc., Vishrant Wadi, Pune-411 015	01-10-96
69.	037033	Mr. Shukla Dhiren Balkrishna, ACA, A-18 Bakul, Andheri, Mumbai-400 058.	01-10-96
70.	037256	Mr. Karnesh Navinkumar Hariram, ACA, 69, Ramchandra Lane, Malad West, Mumbai-400 064.	01-10-96
71.	037345	Mr. Rayarikar Satish Gangadhar, FCA, State Bank Colony, S. No. 19/1 Kothrud, Pune-411 029.	01-10-96
72.	037397	Mr. Natarajan E. S, ACA 16 Yamuna Nava Shrinagar Soc., Tilak Nagar, Chembur, Mumbai-400 089.	01-10-96

1	2	3	4
73.	037688.	Mr. Shah Jayeshkumar, Ochhavla, ACA, A/3, Madhupur Apts., Dhannukarwadi, M. G. Road, Kandivli (W), Mumbai-400 067	01-10-96
74.	037734	Mr. Khedekar Ashok Tukaram, ACA 456 Kamalsagar, Co-Op. Hsg., Soc., Ltd. Bhandup (East), Mumbai-400 042.	01-10-96
75.	038093	Mr. Desai Paresh Vyomesh, ACA, P V. Desai & Co., Mon. Repos, 19 Malaviya Road, Vile Parle (East) Mumbai-400 057.	01-10-96
76.	038174	Mr. Shah-Ameet Parveen, ACA, 83, Pineway Blvd., North York, On Toronto M2 H 1A7 Canada-0	01-10-96
77.	038326	Mr. Agarwal Vivek Kumar, ACA, C/o Eupharma Laboratories Ltd., Eupharma House, Sahakar Marg, Vile Parle (East), Mumbai-400 057.	01-10-96
78.	038624	Mr. Iyer Hari Veeramani, ACA B-6, III Floor Shankar Apts., Near Kanaya Nagar. Kopri Colony, Thane-400 603.	01-10-96
79.	038631	Ms. Pandya Kirti Vipul. ACA, C-9 Brij Dham, Bansur Nagar, Goregaon West, Mumbai-400 090.	01-10-96
80.	038707	Mr. Puranik Anil Devendra, ACA Flat No. 6, Anand S No. 40, Walveka Estat Sant Nagar, Pune-411009	01-10-96
81.	038710	Mr. Nayak Bharatkumar Sanjiva, ACA, A 102, Vardhman Apts., Sodawala Lane Borivili (West), Mumbai-400092	01-10-96
82.	039055	Mr. Sasuri Percy Homi, ACA, 401, Alankar Balaram St., Grant Road Mumbai-400007	01-10-96
83.	039112	Mr. Balsara Ramyar Darius, FCA, Flat No. 6, 3rd Floor, Urmila, 19th Road, Khar (West), Mumbai-400052	01-10-96
84.	039264	Mr. Parekh Milesh Pravinchandra, FCA, M.P. Parekh & Associates, C/o. Navyug Kasdi & Co., 57-59, Zhaveri Bazar, Mumbai-400002	01-10-96
85.	039358	Mr. Dharnidharka Pradeep Omprakash, ACA P.O. Dharnidharka & Co. 4E Calcot House 4 th Floor, 8/10, Tamarind Lane, Mumbai-400023	01-10-96
86.	039510	Mr. Dand Hirachand Damji, FCA, C/o. Hirachand & Co., A/4, Juhu Apartments, Juhu Road Santacruz (W). Mumbai-400049	01-10-96
87.	039521	Mr. Ramesh Rajagopalan, FCA 7/56 Jyotsana Peston Sagar, Chembur, Mumbai-400089	01-10-96
88.	039714	Mr Venkatachalam Krishnan, FCA, Third Floor Chamber of Commerce Building P.O. Box-2642, Dubai, U.A.E.O.	01-10-96
89.	039797	Mr. Buche Sachin, ACA, Yash' Bandhu Layout, Koradi Road, Nagpur-440030	01-10-96
90.	039800	Mr. Nachane Rahul Jayant, ACA, 27/1, Golden Valley Kalina, Santacruz-(East) Mumbai-400098	01-10-96
91.	03971	Mr. Subhedar Rajeev Shri Krishna, ACA, R. S. Subhedar & Associates, C/o. Mr. V.M. Joshi, 12/13, Samartha Nagar, Cunabhatti (East), Mumbai-400022	01-10-96
92.	040106	Mr. Mulla Imtiyaz Mahamadsaheb, ACA Nizam Park, Survey No. 584/5-C, Flat No. 2, Gulmohar Society, Salisbury Park, Gultekadi, Pune-411037	01-10-96

1	2	3	4
93.	040269	Ms. Shroff Nillofer Khusroo, ACA, 8, Highgate Lane, Cherry Hill, NJ-08003, U.S.A.-0	01-10-96
94.	040474	Mr. Ramika Shankar Lal, ACA M/s Goldent Trading & Co., 2nd Floor, 456, Kalbadevi Road, Mumbai-400002	01-10-96
95.	040744	Mr. Desai Rajesh Krishnakant, ACA, Inchecape Middle East, P.O. Box 210, Manama, Bahrain-0	01-10-95
96.	040740	Mr. Gaonkar Chandrashekhar Maruti, FCA, 4/1 Vinayanand Society, Linking Road, Ext. Santacruz (West Mumbai-400054	01-10-96
97.	040773	Mr Mane Sachin Hambirrao, FCA, Baramati Cattlefeeds E-248 MIDC, Opp. Somatextile, Baramati-413233	01-10-96
98.	040849	Mr. Trichur Krishnakumar, Narayanan, ACA 1, Radhika Kumud Nagar S.V. Road, Goregoan-W, Mumbai-400104	01-10-96
99.	040868	Mr. Shah Tushar Harendra, ACA, Amar Nivas, 61 B.D. Road, Mumbai-400026	01-10-96
100.	041032	Mr. Kedia Kamal Omprakash, ACA K.D. Kedia & Co. 57/10 Snch Sadan, J.B. Nagar, Andehri (East) Mumbai-400059	01-10-96
101.	041101	Mr. Mehta Rajesh Lalit, ACA, Rajesh L. Mehta & Co., B/74 Roop Darshan, 7th Fl. Juhu Lane, Andheri (West), Mumbai-400050	01-10-95
102.	041148	Mr. Kaushal Sunil Yesh Paul, ACA Sea Queen Apts, 43-A, H.K. Bhaba Road, Band Stand, Bandra, Mumbai-400050	01-10-96
103.	041476	Mr. Chaturvedi Nand Lal, FCA N.L. Chaturvedi & Co., 60B-B, Hilton Tower, Pump House, Andheri (E), Mumbai-400093	01-10-96
104.	041503	Mr. Patel Piyush Somnath Bhai, ACA Patel Office, Teenbatti, Kadi, Opp. Mamlatdar Court, Mehsana-382715	01-10-96
105.	041526	Mr. Basrur Prashant Sheena, ACA P.S. Basrur & Co., Shop No. 2, Kalyanpur House 3rd, Road, Khar (W), Mumbai-400052	01-10-96
106.	041560	Mr. Chakkunsal Mohan Kumar Somnath, ACA 10 Shuklendu Apts., Datar Colony, Bhandup (E) Mumbai-400078	01-10-96
107.	041502	Ms. Phatak Urmila Chintaman, ACA, 1362 Sadashiv Peth, Near Naya Vishnu, Bajirao Road, Pune-411030	01-10-96
108.	041799	Mr. Malik Mahesh, ACA, Sector-9, NL-6, Building 10, Flat No, 14, Nerul, Navi Mumbai-400706	01-10-96
109.	041845	Mr. Hansotia Danny Firoze, ACA D.F. Hansotia & Associates 5-A Balmoral Hall, 7 Mount Mary Road, Bandra, Mumbai-400050	01-10-96
110.	042020	Mr. Desai Jayesh Ramniklal, ACA 302 Presidential Towers, Lal Bahadur Shastri Marg, Mumbai-400086	01-10-96
111.	042044	Mr. Joshi Virendra Mahendra, ACA, Flat No. 1, Fairfield, 'C' Wing, EC-8 Evershine City, Vasai (E), Gokhiware, Vasai-401202	01-10-96

1	2	3	4
112.	042237	Mr. Iyer Ravi Padmanabhan, ACA 515 Westminister Blvd., Parlin, New Jersey, N.J.-8859, U.S.A.-0	01-10-96
113.	042304	Mr. Lobo Felix Victor, ACA D/2, Rishikesh, II Fvershine Nagar, Malad (W) Mumbai-400064	01-10-96
114.	042340	Mr. Shahsushma Samir, ACA Trishna Co., Opp. Hsg. Society, Block No. 42-A, Gilbert Hill Road, Near Bhuvans College, Andheri (West), Mumbai-400058	01-10-96
115.	042368	Ms. Vela Balkishan Jalan, ACA 9, Lal Mahal, Kopri Colony, Thane (East), Thane-400603	01-10-96
116.	042644	Ms. Mrs. Zarin B. Daruwala FCA Bldg. No. 4, Flat No. 4, A.H. Wadia Baus., Panel Tank Road, Mumbai-400033	01-10-96
117.	042798	Mr. Zaveri Devanshu Subhash, FCA 11, Badri Vishal, 3rd Fl., Sahakar Nagar, J.P. Rd., Andheri (West), Mumbai-400053	01-10-96
118.	042843	Mr. Parikh Sameer Jagdish, ACA 24, Vasant Vihar Society, Opp. Water Tank, Vastrapur Gaum, Vastrapur, Ahemdabad-300015	01-10-96
119.	042872	Mr. Khambata Porus Nariman, ACA C/o Mr. N.M. Daruwala, 14-A, Wellesley Road, Opp. Lal Deval, Pune-411001	01-10-96
120.	042887	Ms. Shah Suchita Mayur, ACA 19, Jay Vijay, 3538/27, Vallabhbaug Lane Extn., Ghatkopar East, Mumbai-400077	01-10-96
121.	042943	M.. Mundra Ram Narayan, ACA Flat No. 101, A-1/11, Bahar Gen. A.K. Vaidya-Marg, Yashodham, Goregaon (East), Mumbai-400063	01-10-96
122.	043113	Mr. Namjoshi Hemant Madhukar, ACA 7, Avadhut, Ram Murti Cross Road, Naupada, Thane-400062	01-10-96
123.	043268	Mr. Tirodkar Samir Ramakant, ACA 31, Jayawanti, Jogeshwari Co. Opp. hsg. Soc., Jogeshwari (East), Mumbai-400060	01-10-96
124.	043442	Mr. Jain Ashok Chand, FCA T. Rayon Trading Co. Ltd., 9 Phao Phanich Road, 10100 Sampuntawong (Thailand), Bangkong-0	01-10-96
125.	043659	Mr. Prasannakumar K. ACA Prasanna Sheney & Associates, 202-203/A 1, Harasiddh Park, Gladys Alwares Marg, Off Pokhra Thane-400601	01-10-96
126.	043823	Mr. Phillip Alexander Rodrigues, ACA Phillip & Associates, 13 Rocks End., Bldg. No. D/5, greenfields, Andheri-E Mumbai-400093	01-10-96
127.	043943	Mr. Malkan Harendra Lalchand, ACA B-3 Madhav Baus, Jambli Gally S.V. Road, Borivili (West), Mumbai-400092	01-10-96
128.	043959	Mr. Parekh Dhruv Dilip, ACA Prempuri Bhawan, 36. N.S.P. Marg, Mumbai-400007	01-10-96
129.	044007	Mr. Malpani, Sandeep Shivdas, ACA 943, Bhudhwar Peth, Pune-411002	01-10-96

1	2	3	4
130.	044222	Ms. Desai Smita Janak, ACA The Cliff 3rd Floor, 8, Raghavji Road, Cumballa hill, Mumbai-400026	01-10-96
131.	044229	Mr. Bora Sanjay Manik-chand, ACA B-305 New Bharat Bhavan 1360 Shukrawar Peth Pune-411002	01-10-96
132.	044341	Mr. Mukesh Kumar Chechani, ACA Flat No. 207, E/2 Highway Park, Thakur Complex Kandivli (East) Mumbai-400101	01-10-96
133.	044396	Mr. Agrawal Pramod Kajodimal, FCA 1137 Central Avenue, Gandhibhoji, Nagpur-440002	01-10-96
134.	044404	Mr. Sundaram Ramchdran ACA 1/7, Sharda, Sector-II, OM-Matha HSG. Soc., Cheddanagar, Mumbai-400089	01-10-96
135.	044419	Mr. Chandwani Naresh Arjandas, ACA 689/9, Krishna Niwas, 15 th Road, Khar Mumbai-400052	01-10-967
136.	044464	Mr. Joshi Bhavin Pinakin , ACA 14, Morvi, X-Lane, Canpat Bhavan, Block No. 2, Chowpatty, Mumbai-400007	01-10-96
137.	044555	Ms. Kadakia Darshana Rasikl, ACA B/43, Tarabaug Estate, Raja Ram Mohan Roy Rd., Mumbai-400004	01-10-96
138.	044587	Mr. Dharmendra Resham walla, ACA D. Reshamwalla & Asso-ciates, 10 Lamplight, 9th Rd., Extn. J.V.P.D Scheme, Mumbai-400049	01-10-96
139.	044762	Mr. Manish Pravinbhai Hakani, ACA 100/3, Mansukh 9th Cross Prabhat Rd., Erandwane Pune-411004	01-10-96
140.	045465	Ms. Monon Preeta Venu, ACA B/18 Gopal Bldg TPS 2nd Road Vile Parle East Mumbai-400067	01-10-96
141.	045539	Ms. Mohini Muralidhar Hebde, ACA 9/178, Rohini Sion (East) Mumbai-400022	01-10-96
142.	045548	Mr. Shah Pragnesh Chandrakant, ACA C-19, Milandhdara Azad Street, S.V. Road Andheri West Mumbai-400058	01-10-96
143	045553	Mr Vora Hitesh Ramniklal. ACA D-6, M/505, Malinath, S.P. Naga Jain Mandir Rd. Nahur, Mulund (West) Mumbai-400080	01-10-96
144.	045558	Mr. Parikh Sanjeev Rasiklal, ACA D/17 Mamta Apts., Govardhan Nagar Mulund West L.B. Shastri Marg Mumbai-400080	01-10-96
145.	045562	Ms. Christina Thomas Keeranchira, ACA House No. 479, Asni Vaddo Suirim Bardez Bardez Goa-403507	01-10-96
146.	045579	Mr. Joshi Sachin Roopnarayan ,ACA 3/34 Savita Society Kelkar Road Dombivli-421201	01-10-96
147.	045752	Mr. Bhide Prasad Divakar. ACA P.D. Bhide & Co., 141-A, Shukrawar Peth, Shinde Lane Pune-411002	01-10-96

1	2	3	4
148.	045887	Mr. Vazifdar Porus Fredy, ACA F-15 Shapur Baug V.P. Road. Mumbai-400004	01-10-96
149.	045937	Mr. Parekh Yagneshkumar Bhogilal, ACA 5/B Dhavalgiri Co-op Hsg. Society, Liberty Garden Rd. No. 1, Malad (West) Mumbai-400066	01-10-96
150.	045967	Ms. Sahay Minakshi, ACA Flat No.-6, Sorab House Garden Road, Colaba Mumbai-400039	01-10-96
151.	046101	Ms. Parul Dipesh Nandu ACA 601 Satellite, Tagore Road, Santacruz-W Mumbai-400054	01-10-96
152.	046130	Mr. Shah Sailesh Damji, ACA 13, Anand Bldg., Sitladevi Temple Road Mahim Mumbai-400016	01-10-96
153.	046138	Ms. Sumathi Ramadas. ACA D 1/5 Vipul Mitra Pragati Nagar Goregaon West Mumbai-400062	01-10-96
154.	046426	Mr Sanil Vivek Vaman. ACA B-31, Building No. 1 Vrushali Shilp Co-op Hsg. Scty Shimpoli Vill. Borivli (W) Mumbai-400092	01-10-96
155.	046500	Mr Savlani Hiranand Asandas, ACA C/o K.K. Nanjwani, 1/20 Pallavi Apartments Opp. Memnagar Fire Station Ahmedabad-380009	01-10-96
156.	046610	Mr Dalal Privesh Praful, ACA 2/12 Hakoba Building Odhav Nagar, Nr. Shantivan Borivili-East Mumbai-400066	01-10-96
157.	046650	Mr. Sharma Atul Kumar Sitaram, ACA Shraddhanjali Opp. Gurudware Shastri Nagar Khopoli-0	01-10-96
158.	046679	Mr. Shah Parag, Dwarkadas ACA BBC Patel & Co. P.O. Box 1761 Dubai, UAE-0	01-10-96
159.	046948	Mr. Kamath Sanjay Mohan. ACA A/5, Vartak Tower, Mahesh Park Nallasopara (East) Dist. Thane Nallasopara-401209	01-10-96
160.	047020	Mr. Gupta Ajaykumar. Rohan Lal ACA Room No. 601 'A' Wing Shivdham Vaishali Nagar Dharkhadi Dahibar (East) Mumbai-400068	01-10-96
161.	047051	Mr. Sanshvi Subahu Vipinchandra, ACA 5 Nand Smruti Plot-15 Vallabh Baus Lane Ghatkopar-East Mumbai-400077.	01-10-96
162.	047074	Ms. Shaila Divyesh Shah ACA Shantinathni Pole, Near. Madarsa, Patan North Gujrat Patan-384265	01-10-96
163.	047088	Mr. Manyal Vikram Santosh ACA 12/42 Navjivan Society Bombay Central Mumbai-400 008	01-10-96
164.	047150	Mr. Raju Markandeya V ACA, B D D Bldg No 111, Room No 20, Worli Mumbai-400 018	01-10-96
165.	047181	Mr Suhdev Rajan Krishnakumar, ACA 162/15, Gul Ratan Mahal Sion-West, Mumbai-400 022	01-10-96

1	2	3	4
166	047302	Mr Cardozo Julious Sebastian Thomas, ACA Taj Quarters, D-97 Pais Street, Byculla, Mumbai-400 011	01-10-96
167.	047323	Ms. Chunawala Gazala Aziz, ACA T. P. S. III 14th Road, Building Maryland 3rd Floor, Flat No. 14 Bandra, Mumbai-400 050.	01-10-96
168.	047404	Ms. Mithra Engineer, ACA Hillan, 1st Floor, 3, Prof. Almeida Rd., Bandra (West), Mumbai-400 050.	01-10-96
169.	047435	Ms. Jain Neena Hiralal, ACA, E/9, Common Wealth Buildings, Opp. Blind Garden Pune-411 0011	01-10-96
170.	047504	Mr. Limaye Prabhakar Vasant, ACA 157/6 Navalkar Buildings, Khadilkar Road, Sirgaum, Mumbai-400 004.	01-10-96
171.	047608	Mr. Sikdar Priti, ACA A-17 Sanset 202, Yashodham , Goregaon East, Mumbai-400 063.	01-10-96
172.	048089	Ms. Rathod Pravina Javerbhai, ACA, 7/7, Malad Co OP Hsg Soc. 2nd Floor, Poddar Road, Malad East, Mumbai-400 097.	01-10-96
173.	048231	Mr. Jalan Balkishan Shyamsunder, ACA, Flat No 9 First Floor, Lal Mahal, Daulat Nagar, Kopri Colony, Thane (East), Thane-400 6031	01-10-96
174.	048649	Mr. Sardesai Ulhas Anant ACA C/o D. M. Sardesai Ekar B, Plot No 85 Safalya Walwekar B A Pune Satara Road Pune-411 009.	01-10-9
175.	048744.	Mr. Bali Sukarm Kamal Dev Singh, ACA 302 Regent Chambers Nariman Point Mumbai-400 021.	01-10-96
176.	049048	Mr. Veedon Mathew Joseph, ACA 66 Maker Towers F. Cuffe Parade Mumbai-400 005.	01-10-96
177.	049083	Mr. D'Souza Clifford Leonard, ACA B/8 'The Shelter' 35, Sherly, Bandra West Mumbai-400 050.	01-10-96
178.	049394	Mr. Bendre Sunil Vinayak, ACA Ashok Nagar Bldg. No. 3 Co. Op. Hsg. Scty, Block No. H, L T Rd. Vaziranaka, Borivli (W) Mumbai-400 092.	01-10-96
179.	049650	Mr. Shah Aradhan Shashikant, ACA B/11 Shakuntala Apt. Chheda X Road Behind Ganesh Mandir Dombivli-421 201.	01-10-96
180.	049726	Mr. Adhikary Sandeep Bechuram, ACA 34, Krishna Bldg. No. 3, Dr. Batliala Lane, Parel, Mumbai-400 012.	01-10-96
181.	049824	Ms. Verghese Bindu, ACA 9/22 Chandra Nivas Sion (W) Mumbai-400 022.	01-10-96
182.	049935	Ms. Mudhokar Trupti Nitin, ACA 7AG Green Park, Civil Lines, Nagpur-440 001.	01-10-96

1	2	3	4
183.	049984	Mr. Aggarwal Sanjay Raghunath, ACA D-901 Usha Nagar, Bhandup West, Mumbai-400 078.	01-10-96
184.	049988	Mr. Mehta Hitesh Deepak, ACA 14 New Nasia Road Indore-452 001.	01-10-96
185.	049989	Mr. Shirsekar Sameer Arun, ACA 22, Rameshwar Prasad Veer Savarkar Marg Prabhadevi Mumbai-400 025	01-10-96
186.	051889	Mr. Ghatak Suprio, ACA C/74/104 Sunayana Shanti Nagar Sector 9 Mira Rd.(E) Mira Road-401 107.	01-10-96
187.	062133	Mr. Goswami Prasanta Kumar, FCA Flat No. 1, Purnima Patel Compound 20 Nepeansea Rd. Mumbai-400 006.	01-10-96
188.	055064	Mr. Srimanta Acharya, ACA Flat No. 701 D-2, Lokdhara Complex Kalyan-E Kalyan-421 306.	01-10-96
189.	006605	Mr. Amarchand Bagredha, ACA C/o S.K. Sahoo 205 Kanchanganga Dattani Park, Borivli (East) Mumbai-400 066.	01-10-96
190.	070212	Mr. Daftary Hasmukh D., ACA B/7, Anjali, Old Nagardas Road, Andheri-East Mumbai-400 069.	01-10-96
191.	070927	Mr. Chandra Prakash Gupta, FCA Chief Manager-Finance Hindustan Aeronautics Ltd. Nasik Div, Post Ojhar Township Nashik-422 207.	01-10-96
192.	071989	Mr. Arun Kumar Misra, FCA Flat No. 712, B Wing, ABC Bldg. Manish Park, NR Old Pimp House Andheri (East) Mumbai-400 093.	01-10-96
193.	071991	Mr. Jhalani Murari Lal, ACA Biharilal Damodar Prasad & Co. Station Rd. Unjha-384 170.	01-10-96
194.	072358	Mr. Dansi Sanjeev, ACA C/o Shri S.K. Taparia 301, Kamal Apts. S.J.S. Highway, Banipark Jaipur-0.	09-12-91
195.	074787	Mr. Vilayatrani Bhuvnesh Kumar, ACA C/8 Mr. Deep Vilayatrani C-18/5, B.R.C. Colony Fatehnagar Surat-394 220.	01-10-96
196.	075474	Mr. Sameer Agrawal, ACA 20/304 H.P. Nagar-East Washi Naka Chembur Mumbai-400 074.	01-10-96
197.	086043	Mr. Alok, ACA C-14, E-2 Highway Park, Thakur Complex Kandivli(E) Mumbai-400 101	01-10-95
198.	100043	Ms. Bhadbhade Anjali Rahul, ACA Pratima 390/2, 8th Road Near Sandhu Factory Chembur Mumbai-400 071.	01-10-96
199	100200	Mr. Shastri Rajiv, Vijaykumar, ACA 'Raniviraj', 6, Asher Estate, Nasik Road, Nashik-422 101.	01-10-96

1	2	3	4
200.	100234	Mr. Jhunjhunwala Deepak Radheshyam, ACA Anand Niwas, Near Eknath Rang Mandir, Osmanpura, Aurangabad-431 005.	01-10-96
201.	201730	Ms. ABI. S., ACA 76 302, Achwattha Vasant Vihar Pokhran Road No. 2 Thane-400 601.	01-10-96

ASHOK HALDIA,
Secy.

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION, (CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110 066, the 12th December 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3404.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Madras from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C. File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	M/s. Thanjavur Servodaya Sangh, 8, K. V. Koil, East Street, Kumbakonam-612001, Thanjavur District.	TN/2019-M	1-6-94 to 31-5-97	DLI/14 (223)/97
02.	M/s. The Thanjavur Consumers Co-op. Wholesale Stores Ltd. South Rampart, Thanjavur-613001. 70 Branches	TN/TR/3411	1-3-90 to 28-2-93 and 1-3-93 to 29-2-96	DLI/14 (226)/97
03.	M/s. The Trichy District Amravathy Consumers Co-op. Wholesale Stores Limited R-683, No. I, Old Goods Shed Road, Trichirapalli-620002.	TN/TR/4512	1-3-90 to 28-2-93 and 1-3-93 29-2-96	DLI/14 (230)/97
04.	M/s. Joseph Eye Hospital Melapudur, Tiruchirapalli-620001.	TN/TR/7642	1-3-93 to 29-2-96	DLI/14 (224)/97
05.	M/s. Eda Melaipur Milk Producers Co-op. Society Ltd., Z. C. 59, Edamelaiyur Mannargudi Taluk, T. Pannerselvam Distt.	TN/9000	1-7-90 to 30-6-93 and 1-7-93 to 30-6-96	DLI/14 (232)/97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
06.	M/s. Paddy Processing Research Centre, Puduk Kottai Road, Thanjavur-613005	TN/TR/103596	1-6-94 to 31-5-97	DLI/14 (225)/97
07.	M/s. BHEL Complex Co-op. Labour Contract Society Ltd., YT No. 11 Dr. Ambedkar Nagar E & R Sector, Kailaspuram Trichy-620014	TN/19857	1-11-89 to 31-10-92 and 1-11-92 to 31-10-95	DLI/14 (221)/97
08.	M/s. Cethar Vessels Ltd., Lakshmi Complex, 73, B-1, Salai Road, Thillai Nagar, Trichy-620018	TN/TR/22237	1-2-90 to 31-1-93 and 1-2-93 to 31-1-96	DLI/14 (231)/97
09.	M/s. V. N. C. Electrodes, 3, Industrial Estate, Karur-639004	TN/TR/27014	1-3-95 to 28-2-98	DLI/14 (233)/97
10.	M/s. Cethar Food Oil Ltd., 6-A, Lawsons Road, Cantonment, Trichirapalli-620001	TN/TR/27043	1-1-91 to 31-12-93 and 1-1-94 to 31-12-96	DLI/14 (227)/97
11.	M/s. Shanmugha Precision Forging, Shanmugha Complex, Thirumalaisamdiram, Thanjavur-613402	TN/TR/27065	1-9-93 to 31-8-96	DLI/14 (220)/97
12.	M/s. TNPL School Society, Kagithapuram Post Karur D. C. G., Distt.-639136	TN/TR/27053	1-3-96 to 28-2-99	DLI/14 (228)/97
13.	M/s. Southern Hydro Carbons Ltd., Registered Office, 52/A, Ranganathapuram Puthur, Tiruchirappalli-620017	TN/TR/27150	1-6-91 to 31-5-94 and 1-6-94 to 31-5-97	DLI/14 (222)/97
14.	M/s. Fenner's India Ltd., Textile Division Manavasi, Kulithalai Taluk, Karur-639108	TN/TR/32068	1-4-96 to 31-3-99	DLI/14 (234)/97
15.	M/s. VATC Ltd., D. No. 51/1, S. No. 216/2, Pillaicthaneerapanda Thirumayana Road, Pudukottai-622001	TN/32497	1-4-96 to 31-3-99	DLI/14 (229)/97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employmee; The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exempt./89.[Pt.I]3425.— WHEREAS The employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Madras from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. E.I.D. Parry (I) Ltd. Dare House, P.B. No. 12, Madras-600001.	TN/345/F	1-3-94 to 28-2-97	DLI/14 (245) 97/TN
2.	M/s, Rolled Stripes Profiles (P) Ltd., 3, Gowripuram West Street, Karur-2.	TN/3877	1-3-94 to 28-2-97	DLI/14 (201)/96/TN
3.	M/s. Suramangalam Milk Producers Co-Op. Society Ltd., Z-348, Suramangalam (P.O.) Pin-610201.	TN/7858	1-12-89 to 30-11-92 1-12-92 to 30-11-95	DLI/12(4915) 96/TN
4.	M/s. Perambalur Sugar Mills Ltd., Eraiyur P.O. 621133, Trichy Distt.	TN/11604	1-3-89 to 29-2-92 1-3-92 to 28-2-95 1-3-95 to 28-2-98	DLI/14(242) 97/TN
5.	M/s. Kali Engineering Consultancy and Services, No. 42/5, Madras Road, Malakaved-612002. Kumbakonam.	TN/17019 A	1-4-95 to 31-3-98	DLI/14(243) 97/TN

1	2	3	4	5
6.	M/s. Neyveli Township Milk Consumers Co-op. Society Ltd., TND-406, E-24, Mut u'gan, Koli Road, Block-17 Neyveli-607803.	TN/17294	1-1-89 to 31-12-92 1-1-92 to 31-12-94	DLI/14(200)/96/TN
7.	M/s. Sri Radhakrishna Rice Mills Inji-Kollai, Tirucharai-612601, Kumbakonam Taluk,	TN/23141	1-3-94 to 28-2-97	DLI/14(102)/96/TN
8.	M/s. ENVEEBEE Electrodes, 18, Industrial Estate, Karur-639004 Tamil Nadu.	TN/27644	1-3-94 to 28-2-97	DLI/203/96/TN

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1-959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3439.—WHEREAS The employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Madras from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	CPFC File No.
1.	M/s. Deejay Enterprises (P) Ltd., No. 41-A, T.B. Road, Arasaradi, Madurai-625010,	TN/17262-A	1-1-95 to 31-12-97	DLI/14/243/97
2.	M/s. Saravana Spinning Mills Ltd., Post Box No. 15, Begampur, Dindigul-624002,	TN/20497	1-2-95 to 31-1-98	DLI/14/246/97
3.	M/s. Sivakasi Electro Chemicals Limited, Virudhunagar Sivakasi Road, Gur moorthy Nayakan Patti, Amathur-626005,	TN/20836	1-2-90 to 31-1-93	DLI/14/187/96
4.	M/s. Viswabarathi Textiles Ltd., Trichy Road, Vadamadurai-624802, Vedasandur (TK) Dindigul Anna District.	TN/20905	1-1-95 to 31-12-97	DLI/14 (247)/97
5.	M/s. Sivaraj Spinning Mills Ltd., Thadi-Combu-624709, Dindugul TK,	TN/24149	1-1-96 to 31-12-98	DLI/14(249)/97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH

Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi, the 26th December 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3450.—WHEREAS the employees of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore in exercise of the power conferred by subsection 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which exem. was granted/extended	Date of expiry	Period for exemp.	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Kwality Rubber Products, A-3, Industrial Estate, Amaravati Road, Guntur-522034.	AP/7017	2/1959/DLU/Exem./89 Pt. I dt. 1-11-95	30-11-96	1-12-96 to 30-11-99	2/4112/92
2.	M/s. Associate Rubber Industries, A-2, Industrial Estate, Amaravathi Road, Guntur-522034 (AP).	AP/4753	-do- dt. 1-11-95	30-11-96	1-12-96 to 30-11-99	2/3193/90
3.	M/s. Suryatronics Pvt. Ltd., 3A/1&2, I.D.A. Cherla Pally. Hyderabad-500051.	AP/18041	-do- dt. 25-1-96	30-11-96	1-12-96 to 30-11-99	2/3716/90
4.	M/s. T.G.L. Gopalsethy Politechic, Adoni-518301.	AP/18633	-do- dt. 24-1-96	30-11-96	1-12-96 to 30-11-99	2/4015/92
5.	M/s. K.S. Subbiah Pillai & Co., (India) Pvt. Ltd., P.B. No. 18, Chilakaluripetta-522616, Guntur Dt. A.P.	AP/2971	dt. 7-2-91	31-12-95	1-1-96 to 31-12-98	2/4731/92

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas no employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A MD. BASMA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3161.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Kerala from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s, Kerala Forest Development Corporation Limited, Divisional Office, Munnar, Idukki Distt.	KR/5203/D	01-03-89 to 31-07-92 & 01-08-92 to 31-07-95	DLI/8/12/96/KR
2.	M/s, Thiruvananthapuram Dist., Co-op. Bank Ltd., Post Box No, 5122, Thiruvananthapuram-695023.	KR/1895	01-07-91 to 30-06-94	DLI/8/11/96/KR
3.	M/s, Matsyafed, Matsya Bhavan, Kuravakonam, Post Box No. 821, Trivandrum-695003.	KR/2194-A	01-03-92 to 28-02-95	DLI/8/4/96/KR
4.	M/s, Kerala State Beverages (Manufacturing & Marketing) Corp. Ltd., P. B No. 2263, Sasthakripa Office Complex, Sasthamangalam, Thiruvananthapuram-695010.	KR/10416	01-01-88 to 31-12-90 & 01-01-91 to 31-12-93	DLI/8/5/96/KR
5.	M/s, Crypton Confectionaries (India) Private Limited., Post Box No. 10, Kaajiranpara Road, Thodupuzha-84, Kerala (India).	KR/12380	01-01-91 to 31-12-93 & 01-01-94 to 31-12-96	DLI/8/6/96/KR

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as an when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that should be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fail, to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3472.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissibe under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE — 1

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which exem. was granted/ Extended.	Date of Expiry	Period of Exemption	C. P. F. C.s' File No.
1,	M/s, Dredging Corporation of India Ltd., (Port Area) Visakhapatanam-530035.	AP/VP/5956	2/1959/DLI/Exem/89 Pt. I dt. 18-9-97	20-8-94	21-8-94 to 20-8-97	2/646/82
2,	M/s. G. V. K. Hotels Ltd., (The Krishna) Oberai Road, No. 1, Banjara Hills, Hyderabad-500034.	AP/20687	—do— dt. 1-11-95	31-3-97	1-4-97 to 31-3-2000	2/4063/92
3,	M/s, Associated Glass Industries, Division of H. S. W. I., Ltd., Post Box No. 1930, Sonth Nagar, Hyderabad-500018,	AP/4133	—do— dt. 7-4-93	30-11-93	1-12-93 to 30-11-96	2/4207/92

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee: The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. MD. BASHA
Regional Provident Fund Commissioner

S.O. No. 2/1959/DLI/Exemp.89/Pt.I/348.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC U.P. from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,	M/s, Bajaj Hardware, D-II, Industrial Estate, Aligarh-202001.	UP/13767	1-11-88 to 31-10-91 and 1-11-91 to 31-10-94	2/3/DLI/UP/95
2,	M/s. Tej Shoe Exporters (P) Ltd., Indra Mills, Compound, Jeoni Mandi, Agra-282004,	UP/8364	1-1-92 to 31-12-94	2/2/DLI/UP/95
3,	M/s. Kumaon Refractories, Vill. Nar Singh Talla, Kamluaganja, P. O. Lamachaur, Haldwani, Nainital.	UP/14195	1-12-91 to 30-11-94	2/4/DLI/UP/95
4,	M/s. Pee Cee Soap & Chemicals Ltd., Doctor Soap House, 19/9, Khatena Road, Loha Mandi, Agra-282002.	UP/11914	1-9-87 to 31-8-90 and 1-9-90 to 31-8-93 and 1-9-93 to 31-8-96	2/9/DLI/UP/95

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the sailent features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that should be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

CORRIGENDUM

Mumbai, the 12th December 1997

No. UT/DBDM/R-372/SPD 51/97-98—In our corrigenda Nos. UT/DBDM/R-1064/SPD-51/96-97, UT/DBDM/SPD-59A/R-1064/96-97, UT/DBDM/SPD-184/R-1064/96-97 and UT/DBDM/R-1064/SPD-71M/96-97 dated 26th May, 1997 published in the Gazette of India (Part III—Sec. 4) dated July 5, 1997 the following shall be corrected :—

UNIT SCHEME 1964

Sr. No.	Page No.	Corrections
1	2139	Under the heading 'Corrections' item 3 may be read as 'in the 3rd-4th line of item 4 the word 'enternained' be corrected as 'entertained'.
2	2139	In the 1st line under heading 'Corrections' against item 4 the word 4th' should be placed by '4'.

RAJLAKSHMI UNIT SCHEME (II) AND RAJLAKSHMI UNIT PLAN (II)

Sr. No.	Page No,	Corrections
1	2140	In the 1st line of heading of corrigenda the word 'UNITS' should be corrected as 'UNIT'.
2	2140	In the 2nd line of heading of corrigenda appearing after '(II)' should be replaced by ','.
3	2140	In the 1st line of heading of 3rd column the word 'Colum' should be corrected as 'Column'.
4	2140	Against item 4 under the heading 'Corrections' the word 'Word' should be replaced by 'word'.
5	2140	Following should be inserted at the end of corrigenda :— 'A. G. JOSHI General Manager Business Development and Marketing'

HOUSING UNIT SCHEME 1992

Sl. No.	Page No.	Corrections
	2140	appearing after the word 'SCHEME' in the heading of corrigenda should be deleted.

MONTHLY INCOME PLAN 1996 (III).

Sl. No.	Page No.	Corrections
1	2141	Against item 14 under the heading 'corrections' the word 'as' be inserted between the words 'corrected' and 'basis'.
2	2141	Against item 26 under the heading 'corrections' the word 'word' be corrected as 'words'.
3	2143	Under the heading 'corrections' item 55 should be read as 'Under the heading Registrars in the second line ',' be inserted between the words 'Depot' and 'Vijay
4	2143	In the 2nd line under the heading 'Corrections' against item 56 the word 'correvt 3d' should be replaced by the word 'corrected'.
5	2143	In the 3rd line under the heading 'Corrections' against item 57 the word 'declared' should be corrected as 'declared'.
6	2143	In the 2nd line under the heading 'corrections' against item 59 should be inserted between '' appearing between the words 'sign' 'and 'be'.
7	2143	In the 2nd line under the heading 'Corrections' against item 61 sign '.' should be replaced by the sign '
8	2143	In the 1st line under the heading 'Corrections' against item 69 the first word 'in' should be replaced by the word 'In'.
9	2143	In the 2nd line under the heading 'Corrections' against item 69 the word ''in-audited' should be corrected as 'unaudited'.
10	2144	In the 3rd line under the heading 'Corrections' against item 73 the word 'Jeevan should be corrected as 'jeeven'.

A G JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

No. UT/DBDM/R-372 SPD 165/97-98—In our corrigenda No. UT/DBDM/R-1064/SPD-165/96-97 dated 20th May, 1997 published in the *Gazette of India (Part III Sec 4)* dated July 5, 1997 the following shall be corrected :—

DEFERRED INCOME PLAN 1991

Sl. No.	Page No.	Corrections
1	2144	Heading of 1st Column 'Sl' should be 'corrected as 'SR'.
2	2146	In the 1st line against item 35 under the heading 'Corrections' the word 'coloumn' should be corrected as 'column'

Sl. No.	Page No.	Correction
3	2146	In the 1st line against item 41 under the heading 'Corrections' the eighth word 'in' should be deleted.
4	2146	In the 2nd line against item 44 under the heading 'Corrections' the word 'AN' should be replaced by the word 'CAN'.
5	2146	In the 4th line against item 45 under the heading 'Corrections' the word 'corner' should be corrected as 'Corner'.
6	2146	Figure '7' in the 3rd column against item 46 should be replaced by the figure '1'

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998